[2021] 13 S.C.R.231

अक्षय एन. पटेल

बनाम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 6522)

06 दिसंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

विक्रम नाथ और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 14 , 19 (1) (छ) और 21-विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999-एस. एस. 10 (4) , 11 (1) – मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस गिल्डलाइंस, 2020-खंड 2 (iii)

खंड 2 (iii) की आनुपातिकता-अपीलकर्ता एक ऐसी फर्म का प्रबंध निदेशक है जो फार्मास्यूटिकल्स और कार्मिक सुरक्षा उपकरण उत्पादों जैसे मास्क, दस्ताने, सैनिटाइज़र, पी. पी. ई. ओवरऑल और वेंटिलेटर आदि का निर्माण और व्यापार करता है-अपीलकर्ता ने चीन में एक आपूर्तिकर्ता द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक खरीदार को पी. पी. ई. उत्पादों की बिक्री के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यापार लेनदेन (एम. टी. टी.) अनुबंध प्राप्त किया-अपीलकर्ता ने अपने बैंक से एम. टी. टी. अनुबंध को निष्पादित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया बैंक ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि आर. बी. आई. ने 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों के खंड 2 (iii) के आधार पर उसके एम. टी. टी. अनुबंध के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था-प्रासंगिक समय पर, पी. पी. ई. का निर्यात चल रही कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था-इसलिए, पी. पी. ई. से संबंधित एम. टी. टी. अनुबंधों को अस्वीकार्य माना जाता था-लेखन

अपीलार्थी द्वारा याचिका-अपीलार्थी ने 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों के खंड 2 (iii) की संवैधानिकता को चुनौती दी-उच्च न्यायालय ने

खंड 2 (iii) की संवैधानिकता-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः पी. पी. ई. उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की यू. ओ. आई. की नीति इस पर उनके रुख को दर्शाती है

कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पाद की गैर-व्यापार क्षमता-यह एक स्पष्ट नीतिगत विकल्प को उजागर करता है जिसके तहत भारतीय संस्थाओं को भारत के बाहर इन उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, पूरी संभावना है कि दुनिया भर के सबसे अधिक खरीदारों को जो वैश्विक आपूर्ति की जमाखोरी कर सकते हैं-इसलिए, पी. पी. ई. उत्पादों में एम. टी. टी. पर प्रतिबंध लगाना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग धनी देशों के साथ पी. पी. ई. उत्पादों की

जमाखोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए नहीं किया जाता है-निर्यात पर केवल प्रतिबंध भारतीय विदेशी मुद्रा के उपयोग को नियंत्रित नहीं करेगा-इसलिए, भारत की नीति को बनाए रखने के लिए

13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बोर्ड में सुसंगत स्थिति, पी. पी. ई. उत्पादों के संबंध में एम. टी. टी. का निषेध आवश्यक था और इसका एकमात्र विकल्प था

राज्य के वैध हित की प्राप्ति सुनिश्चित करना-उच्च न्यायालय ने 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों के उस खंड 2 (iii) को सही ठहराया।

पी. पी. ई. उत्पादों के पर्याप्त घरेलू भंडार की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला एक आनुपातिक उपाय था-यह उपाय वैध राज्य हित के अनुसरण में वैध रूप से लागू किया गया था और नहीं किया गया था। अपीलार्थी के मौलिक अधिकारों को असमान रूप से प्रभावित करता है-इसलिए, खंड 2 (iii) यू/आर्ट को पारित करता है। 14 , 19 (1) (छ) और 21।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1. इस न्यायालय द्वारा अर्थव्यवस्था पर सामाजिक नियंत्रण की स्थिति के कथित हित और व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन लाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का समर्थन किया गया है। अपीलार्थी ने विधायी या प्रशासनिक जांच बढ़ाने के लिए तर्क देने के लिए विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया है।

ऐसी कार्रवाई जो किसी व्यक्ति के व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। आनुपातिकता के चार आयामी विश्लेषण का न्यायिक विकास अलग-अलग पहलुओं को विस्थापित करता है। मानक जो अनुच्छेद 19 (6) के तहत "तर्कसंगतता" निर्धारित करने के लिए निर्धारित किए गए थे। किसी अधिकार की गुणात्मक प्रकृति और उसके उल्लंघन की संबंधित जांच एकमात्र कार्य नहीं हो सकता है।

प्रतिबंध की डिग्री। अधिकारों के प्रत्येक उल्लंघन, चाहे उल्लंघन की डिग्री कुछ भी हो, का मूल्यांकन एक समान सिद्धांत के माध्यम से किया जाना चाहिए जो औचित्य की संस्कृति को बढ़ावा देता है। द.

के. एस. पुट्टास्वामी बनाम मामले में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। भारत संघ ("के. एस. पुट्टास्वामी (9जे)") ने मौलिक नियमों के उल्लंघन का निर्धारण करने के लिए आनुपातिकता विश्लेषण निर्धारित किया।

भाग III के तहत अधिकार। आनुपातिकता विश्लेषण पर निषेधात्मक उपायों की संवैधानिकता पर पर्याप्त रूप से विचार किया जा सकता है

व्यावसायिक गतिविधियाँ। इसलिए, यह न्यायालय पी. पी. ई. उत्पादों में एम. टी. टी. को प्रतिबंधित करने के आर. बी. आई. के निर्णय की आनुपातिकता के विश्लेषण पर निर्णय की संरचना करेगा, ताकि इसकी संवैधानिकता निर्धारित की जा सके। [पैरा 15] [248-जी; 249-ए-सी]

2. यह न्यायालय विवादित व्यक्तियों की आनुपातिकता निर्धारित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए औचित्य पर भरोसा करेगा।

उपाय (2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों का खंड 2 (iii))। इस विश्लेषण को निम्नलिखित प्रश्नों के साथ संरचित किया जाएगा: ((i) क्या यह एक वैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने का उपाय है? ; ((ii) यह माप अक्षय एन पटेल v है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर.

इस तरह के लक्षय को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है? ; ((ग) क्या लक्षय की प्राप्ति के लिए उपाय आवश्यक है? ; और (iv) क्या माप पर्याप्त है

व्यक्ति के अधिकार के साथ संतुलित? [पैरा 28] [258-बी-डी]

वैधानिकता 3. परीक्षण के इस हिस्से में एक मूल्यांकन शामिल है

एक उद्देश्य की वैधता जो कथित रूप से एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। उपाय को एक उचित उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, अर्थात

वैध लक्षय। के. एस. पुट्टास्वामी (9जे) मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में से पांच न्यायाधीशों ने आनुपातिकता का आकलन करने के लिए पहले हिस्से के रूप में "वैध राज्य हित" की सीमा को अपनाया। यह राज्य हित संवैधानिक अधिकार या स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए भी पर्याप्त महत्व का होना चाहिए। इस मामले में, पी. पी. ई. उत्पादों के निर्यात, आयात और एम. टी. टी. पर प्रतिबंध वैश्विक स्वास्थ्य महामारी के दौरान पर्याप्त घरेलू आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए पी. पी. ई. उत्पादों का पर्याप्त भंडार महत्वपूर्ण है। आपूर्ति सुनिश्चित करने का राज्य का उद्देश्य अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और अनुच्छेद के तहत एक प्राथमिक कर्तव्य के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य में राज्य के सुधार को

अनिवार्य करने वाले राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाना है। अपीलार्थी ने भारत में पर्याप्त पी. पी. ई. सुनिश्चित करने के इस उद्देश्य की वैधता को चुनौती नहीं दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2021 को अपना हलफनामा दाखिल करते समय देश में महामारी की स्थिति और पी. पी. ई. उत्पादों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया था। चल रही महामारी को देखते हुए, कार्यकारी का उद्देश्य पी. पी. ई. उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना वैध है। तदनुसार, यह न्यायालय मानता है कि विवादित उपाय एक वैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियमित किया गया है जो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को ओवरराइड करने के लिए पर्याप्त महत्व का है। [पैरा 29] [258-ई-एच; 259-ए]

उपयुक्तता

4. आर. बी. आई. फेमा के तहत अधिकृत व्यक्तियों को दिशा-निर्देश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। फेमा को "विदेश से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम" के रूप में पेश किया गया था।

विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदान-प्रदान और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का रखरखाव "। इसलिए, फेमा के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित है कि [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भुगतान संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति के अपने छठे संस्करण में मैनुअल एम. टी. टी. को परिभाषित करता है। यह स्पष्ट है कि एम. टी. टी. में शामिल माल कभी भी मध्यस्थ के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें एम. टी. टी. के आयात और निर्यात चरण के दौरान मध्यस्थ के क्षेत्र से नकारात्मक और सकारात्मक निर्यात के रूप में दर्ज किया जाता है, जो सामान्य आयात और निर्यात के समान है। [पैरा 42] [265-ए, एफ-जी]

6. इस निष्कर्ष का समर्थन आई. एम. एफ. ने भी किया है।

भुगतान संतुलन संकलन गाइड के साथ। यह है।

यह स्पष्ट है कि एम. टी. टी. एस. में मध्यस्थ की भूमिका को पहले केवल सेवा प्रदान करने के रूप में माना जाता था। हालाँकि, यह अब विकसित हो गया है, जहाँ आपूर्तिकर्ता से खरीदार तक उनके पारगमन के दौरान मध्यस्थ को माल का मालिक माना जाता है। इसलिए, एम. टी. टी. के तहत वस्तुओं को मध्यस्थ के निवासी देश से नकारात्मक और सकारात्मक निर्यात के रूप में दर्ज किया जाता है, भले ही वे कभी न हों। शारीरिक रूप से अपने क्षेत्र में प्रवेश करें। [पैरा 43] [265-जी; 266-ई-एफ]

7. इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय राय उत्तरदाताओं द्वारा ली गई स्थिति का समर्थन करती है कि एम. टी. टी. एस. पारंपरिक के अनुरूप है।

आयात और निर्यात। इसलिए, यह आर. बी. आई. के लिए उपयुक्त था

माल में एम. टी. टी. की अनुमति को अक्षय एन. पटेल बनाम की अनुमति से जोड़ें।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर.

एफ. टी. पी. के तहत उत्पाद। इसलिए, उनके एम. टी. टी. का निषेध 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों के खंड 2 (iii) के तहत भी उपयुक्त माना जाता है। [पैरा 44] [266-एफ-एच]

माप की आवश्यकता

भारत के बाहर इन उत्पादों को निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, पूरी संभावना है कि दुनिया भर में सबसे अधिक खरीदारों को जो वैश्विक आपूर्ति की जमाखोरी कर सकते हैं। इसलिए, भारतीय विदेशी मुद्रा सुनिश्चित करने के लिए पी. पी. ई. उत्पादों में एम. टी. टी. पर प्रतिबंध लगाना महत्वपूर्ण था। भंडार का उपयोग धनी देशों के साथ पी. पी. ई. उत्पादों की जमाखोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए नहीं किया जाता है। केवल निर्यात पर प्रतिबंध भारतीय विदेशी मुद्रा के उपयोग को नियंत्रित नहीं करेगा। इसलिए, भारत की नीतिगत स्थिति को पूरे बोर्ड में सुसंगत रखने के लिए, पी. पी. ई. उत्पादों के संबंध में एम. टी. टी. का निषेध आवश्यक था और राज्य के वैध हित की प्राप्ति सुनिश्चित करने का एकमात्र विकल्प था। [पैरा 47] [267-ई-एच; 268-ए-बी]

आर. बी. आई. की नियामक भूमिका

9. तत्काल मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पी. पी. ई. उत्पादों के संबंध में एम. टी. टी. के निषेध में एक तर्कसंगत सांठगांठ का प्रदर्शन किया है और

भारतीय नागरिकों का सार्वजनिक स्वास्थ्य। एफ. टी. पी. और एम. टी. टी. के बीच महत्वपूर्ण संबंध उत्तरदाताओं द्वारा स्थापित किए गए हैं। दो अलग-अलग देशों के बीच पी. पी. ई. उत्पादों में एम. टी. टी. की सुविधा प्रदान करना की उपलब्धता पर कोई असर नहीं होने के रूप में प्रथम दृष्टया दिखाई दे सकता है

घरेलू स्टॉक। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावधानीपूर्वक [2021] 13 एस. सी. आर. स्थापित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. टी. टी. एस. और घरेलू स्टॉक की उपलब्धता। एक बड़ी आबादी वाले विकासशील देश के रूप में, एम. टी. टी. को संरेखित करने के लिए आर. बी. आई. की नीति पी. पी. ई. उत्पादों के आयात और निर्यात पर एफ़. टी. पी. प्रतिबंधों के साथ अनुमति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अतः यह न्यायालय है -

10. इस प्रकार, यह इस न्यायालय का रुख नहीं है कि न्यायिक समीक्षा को तब तक ठंडे बस्ते में रखा जाता है जब तक कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट समाप्त नहीं हो जाता। यह न्यायालय राज्य की ज्यादतियों से बचाव के लिए संवैधानिक प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका को बरकरार रखता है। यह अपनी भूमिका निभाना जारी रखता है

महामारी के प्रबंधन के लिए लागू किए गए असाधारण उपायों की प्रकृति और उद्देश्य पर पर्याप्त विचार के साथ राज्य उपाय की आनुपातिकता का निर्धारण करना। जनता की भलाई को सुरक्षित रखने वाले लोकतांत्रिक हितों को कुछ लोगों की व्यापार करने की निरंकुश स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता है। [पैरा 57] [280-ई-जी]

निष्कर्ष

11. इसलिए, इस न्यायालय ने पाया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय उस खंड को अभिनिर्धारित करने में सही था

2 (iii) 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों का पी. पी. ई. उत्पादों के पर्याप्त घरेलू भंडार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक आनुपातिक उपाय था। यह उपाय वैध रूप से अधिनियमित किया गया था, जिसके अनुसरण में

अपीलार्थी के मौलिक अधिकार। अतः खंड 2 (iii) अनुच्छेद 14,19 (1) (छ) और 21 के तहत पारित किया जाता है। [पैरा 58] [280 एच; 281-ए]

ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1811; चिंतामन राव बनाम। मध्य राज्य प्रदेश, ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 118; के. एस. पुट्टास्वामी बनाम। भारत संघ (2017) 10 एससीसी 1: [2017] 10 एससीआर 569; के. एस. पुट्टास्वामी बनाम। भारत संघ (2019) 1 एससीसी 1: [2018] 8 एस. सी. आर. 1; रुस्तम कावासजी कूपर बनाम। भारत संघ

(1970) 1 एससीसी 248: [1970] 3 एस. सी. आर. 530; शायरा बानो बनाम। भारत संघ (2017) 9 एससीसी 1: [2017] 9 एससीआर 797; के. एस. एच. ए. वाई. एन. पटेल बनाम।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एएन

जोसेफ कुरुविला वेलुकुनेल बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1371-इसके बाद आया।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (2020) 10 एससीसी 274: [2020] 2 एस. सी. आर. 297; गुजरात मजदूर सभा बनाम। गुजरात राज्य (2020) 10 एस. सी. सी. 459 2020 (10) जे. टी. 307-पर निर्भर था।

श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ (1990) 3 एस. सी. सी. 223 [1990] 1 एस. सी. आर. 909; प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स बनाम। भारत संघ (1978) 3 एससीसी 459: [1978] 3 एससीआर 293; पी. टी. आर. एक्सपोर्ट्स (मद्रास) (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (1996) 5 एससीसी 268: [1996] 2 पूरक। एस. सी. आर. 662; एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम निरीक्षक केरल सरकार (1998) 8 एस. सी. सी. 227: [1998] 2 पूरक। एस. सी. आर. 632; एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम निरीक्षक केरल सरकार (1998) 8 एससीसी 227 [1998] 2

पूरक। एस. सी. आर. 632; बी. पी. शर्मा बनाम भारत संघ (2003) 7 एससीसी 309: [2003] 2 पूरक। एससीआर 684; द्वारका पी. डी. वी. उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर 1954 एस. सी. 224; श्री

मीनाक्षी मिल्स बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 366; सागीर अहमद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1955) 1 एस. सी. आर. 707; जालान ट्रेडिंग कं. वी. डी. एम. एनी, ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 233; भारतीय

हस्तशिल्प एम्पोरियम बनाम। भारत संघ, (2003) 7 एस. सी. सी. 589 [2003] 3 पूरक। एस. सी. आर. 43; चिंतामन राव बनाम। मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर 1951 एस. सी. 118; नरेंद्र

कुमार बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 430; मो. फारुक वी. मध्य प्रदेश राज्य (1969) 1 एस. सी. सी. 853: [1970] 1 एस. सी. आर. 156; सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (2016) 7 एस. सी. सी. 703: [2016] 9 एस. सी. आर. 1; इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक, (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 275; ओम कुमार बनाम। भारत संघ (2001) 2 एससीसी 386: [2000] 4 पूरक। एस. सी. आर. 693; मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2016) 7 एससीसी 353: [2016] 3 एस. सी. आर. 579; सुखनंदन सरन दिनेश कुमार बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 902; लक्ष्मी खंडसारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 860; पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक (1992) 2 एससीसी 343: [1992] 1 एससीआर 406; आर. के. गर्ग बनाम।

भारत संघ, (1981) 4 एस. सी. सी. 675; बाल्को कर्मचारी

यूनियन वी. भारत संघ, (2002) 2 एस. सी. सी. 333: [1982] 1

एस. सी. आर. 947; स्विस रिबन (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ,

वी. एडुकॉम्प सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड के लेनदारों की समिति, (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 313-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

पैरा 7

(वी)

[1990] 1 एससीआर 909

संदर्भित किया गया है

[1978] 3 एससीआर 293

पैरा 7

(वी)

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

(वी.

[1996] 2 पूरक। एससीआर 662

संदर्भित किया गया है

[1998] 2 पूरक। एससीआर 632

पैरा 12

संदर्भित किया गया है

[2003] 3 पूरक। एससीआर 43

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[1998] 2 पूरक। एससीआर 632

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2003] 2 पूरक। एससीआर 684

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[1970] 1 एससीआर 156

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2016] 9 एससीआर 1

पैरा 15

संदर्भित किया गया है

[2017] 10 एससीआर 569

पीछा किया।

पैरा 15

[2000] 4 पूरक। एससीआर 693

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2016] 3 एससीआर 579

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2018] 8 एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा 18

[1970] 3 एससीआर 530

पीछा किया।

पैरा 25

[2017] 9 एससीआर 797

पीछा किया।

पैरा 26

[1992] 1 एससीआर 406

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

[2020] 2 एससीआर 297

उस पर भरोसा करें

पैरा 53

[1982] 1 एससीआर 947

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 6

2021 से।

उच्च न्यायालय के 08.10.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मध्य प्रदेश सरकार की, इंदौर की पीठ ने 20 की रिट याचिका संख्या 7902 में ए. के. एस. एच. ए. एन. पटेल बनाम.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर.

आयुष अग्रवाल मेसर्स पी. बी. ए. लीगल, एड. अपीलार्थी के लिए।

विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, पी. वी. योगेश्वरन, मो. अखिल, राज बहादुर यादव, रमेश बाबू एम. आर., सुश्री मनीषा सिंह, सुश्री निशा शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।

वे इस प्रकार हैं:

एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

बी प्रस्तुतियाँ

सीए आनुपातिकता विश्लेषण

सी. 1 वैधता

सी. 2 उपयुक्तता

सी. 3 माप की आवश्यकता

C. 4 मौलिक अधिकारों को राज्य के उद्देश्यों के साथ संतुलित करना

C. 4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक की नियामक भूमिका

डी निष्कर्ष

एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

1. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के 8 अक्टूबर 2020 के एक फैसले और आदेश से उत्पन्न होती है।

इंदौर में बेंच। उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 19994 की धारा 10 (4) और 11 (1) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रथम प्रतिवादी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी व्यापारिक व्यापार लेनदेन 1 दिनांक 23 जनवरी 2020 2 पर संशोधित दिशानिर्देशों के खंड 2 (iii) को बरकरार रखा।

2. अपीलार्थी एक फर्म का प्रबंध निदेशक होता है जो

1 " एमटीटी " 2 " 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देश "-आर. बी. आई./2019-20/152: एपी. (डी. आई. आर. श्रृंखला) परिपत्र संख्या 20 3 "आर. बी. आई".

4 " फेमा

"[2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्पाद; और कार्मिक सुरक्षा उपकरण उत्पाद जैसे मास्क, दस्ताने, सैनिटाइज़र, पी. पी. ई. ओवरऑल और वेंटिलेटर। मामले की उत्पत्ति एक अंतरराष्ट्रीय एम. टी. टी. अनुबंध में निहित है जिसे अपीलार्थी ने प्राप्त किया था।

चीन में एक आपूर्तिकर्ता द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक खरीदार को पी. पी. ई. उत्पादों की बिक्री के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों के अनुसार, अपीलार्थी ने 1 मई को अपने अधिकृत बैंक को पत्र लिखा। 2020 एम. टी. टी. अनुबंध को निष्पादित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों (जैसे क्रेडिट पत्र) का अनुरोध करना। बैंक ने 4 मई 2020 को अपीलार्थी को सूचित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों के खंड 2 (iii) के आधार पर उनके एम. टी. टी. अनुबंध के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। खंड 2 (iii) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" iii. एम. टी. टी. उन वस्तुओं के लिए किया जाएगा जिनकी अनुमति है।

शिपमेंट की तारीख तक भारत की प्रचलित विदेश व्यापार नीति (एफ. टी. पी.) के तहत निर्यात/आयात के लिए। निर्यात (निर्यात घोषणा प्रपत्र को छोड़कर) और आयात (प्रवेश पत्र को छोड़कर) पर लागू सभी नियमों, विनियमों और निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

क्रमशः निर्यात पैर और आयात पैर "।

प्रासंगिक समय में, दूसरे प्रतिवादी, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पी. पी. ई. उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

और विदेश व्यापार महानिदेशालय, क्रमिक माध्यम से

जारी कोविड-19 महामारी के कारण 8 फरवरी 2020,25 फरवरी 2020 और 19 मार्च 2020 की अधिसूचनाएँ। इसलिए, पी. पी. ई. उत्पादों से संबंधित एम. टी. टी. अनुबंधों को खंड के तहत अस्वीकार्य माना जाता था।

2 (iii) 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों का। 3. अपने बैंक से सूचना मिलने पर अपीलार्थी ने 12 मई को वाणिज्य मंत्रालय और डी. जी. एफ. टी. को एक ईमेल लिखा

2020 , यह कहते हुए कि उनके एम. टी. टी. अनुबंध के तहत, भारत से पी. पी. ई. उत्पादों का कोई वास्तविक निर्यात नहीं था। अपीलार्थी ने दावा किया कि वह केवल दो अन्य देशों के बीच व्यापार में मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था। इसलिए उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय और डी. जी. एफ. टी. से एक अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया। पी. पी. ई. उत्पादों के संबंध में एम. टी. टी. अनुबंधों को खंड 2 (iii) की आवश्यकताओं से छूट देने के लिए स्पष्टीकरण/परिपत्र। लेकिन, याचिकाकर्ता को कोई जवाब नहीं मिला। अपीलार्थी ने तब अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष। रिट याचिका ने एक मामला स्थापित किया कि 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों का खंड 2 (iii) असंवैधानिक है क्योंकि यह

5 सामूहिक रूप से, उन्हें "पी. पी. ई. उत्पाद" 6 "वाणिज्य मंत्रालय और डी. जी. एफ. टी". के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। 7 लेखन याचिका सं. 7902/2020 अक्षय एन. पटेल v.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

यह अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत व्यवसाय करने के अपीलार्थी के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करता है।

4. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपने जवाब में, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत संघ ने विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत कई अधिसूचनाएं जारी करके भारत से पी. पी. ई. उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके माध्यम से उसने विदेश व्यापार नीति में संशोधन किया था। इसलिए, 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों के खंड 2 (iii) के अनुसार, पी. पी. ई. उत्पादों से संबंधित एम. टी. टी. लेनदेन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि वे भारतीय व्यक्तियों को अनुमति देते थे।

वैश्विक बाजार में भारत से दूर जाने वाले पी. पी. ई. उत्पादों में दूसरों की सहायता करना। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया कि खंड 2 (iii) एक सामान्य प्रकृति का था, और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने आवेदन से उत्पादों को छूट देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

क्योंकि केवल यू. ओ. आई. ने देश के एफ़. टी. पी. का निर्धारण किया।

5. 8 अक्टूबर 2020 के अपने फैसले से, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों के खंड 2 (iii) की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि: (i) खंड 2 (iii) केवल उन वस्तुओं के लिए एम. टी. टी. को प्रतिबंधित करता है जिन्हें भारत में आयात/निर्यात नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान इसके अनुप्रयोग में सामान्य है और विशेष रूप से पी. पी. ई. उत्पादों में एम. टी. टी. को प्रतिबंधित नहीं करता है; (ii) वस्तुओं के आयात/निर्यात को

प्रतिबंधित करने के लिए एफ. टी. पी. में संशोधन करने का निर्णय विदेश व्यापार अधिनियम के तहत वाणिज्य मंत्रालय और डी. जी. एफ. टी. का एक नीतिगत निर्णय है; (iii) वाणिज्य मंत्रालय और डी. जी. एफ. टी. ने कोविड-19 महामारी के कारण पी. पी. ई. उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इसके परिणामस्वरूप, खंड 2 (iii) के तहत एम. टी. टी. भी प्रतिबंधित हैं; और (iv) इस तथ्य के अलावा कि माल भौतिक रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है, एक एम. टी. टी. में आयात/निर्यात के सभी गुण होते हैं। लेन-देन। इसके अलावा, इसमें भारत की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। इसलिए, इसका विनियमन यू. ओ. आई. द्वारा निर्धारित एफ. टी. पी. के अनुरूप होना चाहिए।

बी प्रस्तुतियाँ

6. श्री आयुष अग्रवाल, अपीलार्थी के विद्वान वकील

प्रस्तुत किया कि:

((i)

2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों का खंड 2 (iii) एम. टी. टी. को प्रतिबंधित करता है।

उन वस्तुओं के लिए जिनके आयात/निर्यात पर भारत में प्रतिबंध है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण निषेध है। यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

19 (1) (छ) और संविधान की धारा 21;

8 " यूओआई " 9 9 "विदेशी व्यापार अधिनियम"

10 " एफटीपी "[2021]

13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोई ठोस कारण नहीं बताया है कि उसने एम. टी. टी. पर प्रतिबंध को फेमा के तहत स्वतंत्र रूप से तय करने के बजाय पूरी तरह से भारत के एफ. टी. पी. से क्यों जोड़ा है, क्योंकि एफ. टी. पी. के तहत वस्तुओं को प्रतिबंधित करने का उद्देश्य एम. टी. टी. को प्रतिबंधित करके भी पूरा नहीं किया जा सकता है। यह वर्तमान मामले में सच है, जहां कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में स्टॉक को संरक्षित करने के लिए पी. पी. ई. उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था; हालाँकि,

पी. पी. ई. उत्पादों में एम. टी. टी. एस. घरेलू स्टॉक को प्रभावित नहीं करता है।

क्योंकि जिन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है वे भारत के बाहर से हैं।

इसलिए खंड 2 (iii) स्पष्ट रूप से मनमाना है और इसका उल्लंघन करता है।

अनुच्छेद 14;

(iii) एम. टी. टी. में भारत की सीमाओं से माल का कोई प्रवेश या निकास नहीं होता है और भारतीय इकाई केवल

दो विदेशी देशों के बीच लेन-देन में मध्यस्थ। अतः, पी. पी. ई. उत्पादों के संबंध में अपीलार्थी का एम. टी. टी.

महामारी के दौरान भारत में पी. पी. ई. उत्पादों की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा, और यह एक उचित प्रतिबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि अदालतों को किसी नीति की तर्कसंगतता पर अधिक विचार करना चाहिए।

सावधानीपूर्वक जब यह एक पूर्ण निषेध में परिणाम देता है;

((iv) इसके अलावा, कम घुसपैठ वाली नीतियां संभव हैं, जैसे -

निम्नलिखितः

ए। भारतीय रिज़र्व बैंक स्वतंत्र रूप से यह तय कर सकता है कि प्रत्येक उत्पाद के लिए एम. टी. टी. को प्रतिबंधित किया जाए या नहीं, जिसके आयात/निर्यात पर एफ़. टी. पी. के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह एफ. टी. पी. के तहत निषेध के साथ एम. टी. टी. पर प्रतिबंध को अलग करके किया जा सकता है।

बी। भारतीय रिज़र्व बैंक केवल उन वस्तुओं के लिए एम. टी. टी. को प्रतिबंधित कर सकता है जिनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि भारत में आयात की कमी उस उत्पाद के संबंध में एक नीतिगत चिंता को उजागर करती है। हालांकि, जिन वस्तुओं का निर्यात प्रतिबंधित है, उनके लिए एम. टी. टी. की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि यह भारत में उस उत्पाद के स्टॉक को कम नहीं करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 24 अगस्त 2000 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र का भी यही इरादा था।

एम. टी. टी. के संबंध में; और

सी। जिन उत्पादों का आयात/निर्यात ए. वाई. एन. पी. ए. टी. ई. एल. v के तहत प्रतिबंधित है, उनके संबंध में एम. टी. टी. के संचालन के लिए छूट की मांग करने के लिए व्यक्तियों को आर. बी. आई. से संपर्क करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एफ. टी. पी. आर. बी. आई. तब प्रत्येक व्यक्तिगत उत्पाद पर विचार कर सकता है और यह तय कर सकता है कि उसके एम. टी. टी. की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।

एफ. टी. पी. के तहत इसके निषेध के कारणों को ध्यान में रखते हुए।

उपरोक्त प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, श्री रमेश बाबू एम. आर.

आर. बी. आई. के लिए औसेल ने प्रस्तुत किया कि:

उत्पाद यू. ओ. आई. द्वारा 8 फरवरी 2020 को जारी किए गए थे; 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों के खंड 2 (iii) के समान खंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए पिछले सभी परिपत्रों में मौजूद हैं।

एम. टी. टी. को विनियमित करें। ये खंड काफी हद तक निर्धारित करते हैं कि

एम. टी. टी. आयात/निर्यात लेनदेन के अनुरूप हैं, सिवाय इसके कि इस तथ्य के लिए कि माल कभी भी भौतिक रूप से भारत में प्रवेश नहीं करता है। एम. टी. टी. के आयात चरण के दौरान विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह होता है और निर्यात के दौरान विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है।

पैर। इसलिए, एम. टी. टी. भारत के विदेशी भंडार को प्रभावित करते हैं, जो

आर. बी. आई. को यू. ओ. आई. के एफ़. टी. पी. का प्रबंधन और सामंजस्य करना होता है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक उन वस्तुओं के संबंध में एम. टी. टी. की अनुमति नहीं दे सकता है जिनके आयात/निर्यात को विदेशी व्यापार अधिनियम के तहत यू. ओ. आई. द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

यू. ओ. आई. द्वारा पी. पी. ई. उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

भारतीय इकाई इन उत्पादों के व्यापार को दूसरे देश में सुविधाजनक बनाती है, यह वैश्विक बाजार में भारत के संभावित स्टॉक से दूर ले जाती है; और न्यायालयों को राज्य की आर्थिक नीतियों में हस्तक्षेप करने से सावधान रहना चाहिए, जिसे विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव का समर्थन श्री में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा किया जाता है।

सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ", प्राग आइस एंड

ऑयल मिल्स बनाम। भारत संघ 1 2 और पी. टी. आर. निर्यात (मद्रास)

(पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ 1 3 13.

8. वाणिज्य मंत्रालय और डी. जी. एफ. टी. की ओर से आर. बी. आई. की दलीलों का समर्थन करते हुए, श्री विक्रमजीत बनर्जी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल 1 4 ने प्रस्तुत किया कि:

((i)

यू. ओ. आई. ने पी. पी. ई. उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

31 जनवरी 2020 से 16 मई 2020 के बीच जारी अधिसूचनाओं की एक श्रृंखला, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त स्टॉक है कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में;

अपीलार्थी को लेन-देन में सुविधा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

((ख)

एम. टी. टी. के माध्यम से दो विदेशों के बीच पी. पी. ई. उत्पादों के लिए क्योंकि यह भारत के राष्ट्रीय हित के खिलाफ होगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए, इस तरह का प्रतिबंध है
उचित;

(iii)

खंड 2 (iii) के तहत कोई पूर्ण निषेध नहीं है।

2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देश चूंकि अपीलकर्ता उन वस्तुओं के संबंध में एम. टी. टी. का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है जिनका आयात/निर्यात भारत के एफ. टी. पी. के तहत निषिद्ध नहीं है; और

(iv) 25 अगस्त 2020 की एक अधिसूचना द्वारा, पी. पी. ई. मास्क और एन-95/एफ. एफ. पी. 2 मास्क या समकक्ष का निर्यात किया गया है।

"प्रतिबंधित" के रूप में वर्गीकृत ("निषिद्ध" के बजाय) जबकि सभी वर्गों/श्रेणियों के मेडिकल कवरऑल (पी. पी. ई. सहित)

ओवरऑल) अब "मुक्त" श्रेणी के अंतर्गत हैं।

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का अब विश्लेषण किया जाएगा।

सी ए आनुपातिकता विश्लेषण

10. अपीलार्थी भारत का नागरिक है। वह एक निगमित निकाय, एन्जाल्प हर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी हैं।

जो अन्य बातों के साथ-साथ एम. टी. टी. में संलग्न है। राज्य व्यापार निगम बनाम।

वाणिज्यिक कर अधिकारी 1 5, इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने इस सवाल का निपटारा किया है कि निगमों को इसके तहत "नागरिक" नहीं माना जाता है।

14 ** " एएसजी " 15 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1811 अक्षय एन. पटेल बनाम।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अनुच्छेद 19 (1) (जी), क्योंकि यह मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है न कि न्यायिक व्यक्तियों के लिए। वर्षों से, शेयरधारकों और व्यवसायियों ने व्यवसाय या अपनी पसंद के पेशे को जारी रखने के अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाने के लिए अपनी व्यक्तिगत क्षमता में याचिकाएं दायर की हैं। अपीलार्थी का तर्क है कि आर. बी. आई. और यू. ओ. आई. द्वारा पी. पी. ई. उत्पादों के संबंध में एम. टी. टी. का निषेध संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (जी) और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करता है।

11. अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि इस न्यायालय ने

विधायी प्रावधानों या कार्यकारी नीतियों का ध्यान रखना जो एक किसी नागरिक के व्यवसाय करने के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध। चूँकि अपीलार्थी एम. टी. टी. में लगा हुआ है जो दो के बीच आयात और निर्यात की सुविधा प्रदान करता है।

विभिन्न देशों में, वे आग्रह करते हैं कि केवल उनके निर्यात को प्रतिबंधित करने के तर्कसंगत भेद के बिना, पी. पी. ई. उत्पादों के संबंध में एम. टी. टी. पर पूर्ण प्रतिबंध, उनकी स्वतंत्रता का संवैधानिक रूप से संदिग्ध उल्लंघन है।

अपना व्यवसाय चलाने के लिए। इस दावे का परीक्षण करने के लिए, हम स्वतंत्रता के दायरे में इस न्यायालय के उदाहरणों का विश्लेषण करके शुरुआत करेंगे।

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत परिकल्पित। भारतीय संविधान के तहत व्यापार के संबंध में प्रासंगिक स्वतंत्रताएं और प्रतिबंध इस प्रकार हैं:

" 19. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण,

[.....] (छ)
किसी भी पेशे का अभ्यास करना, या किसी भी व्यवसाय, व्यापार को जारी रखना।

या व्यापार।

[.....]

(6) उक्त खंड के उपखंड (छ) में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा

किसी भी मौजूदा कानून का संचालन जहां तक वह लागू करता है, या राज्य को आम जनता के हित में, अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने से रोकता है।

कथित उपखंड द्वारा प्रदत्त, और, विशेष रूप से, उक्त उपखंड में कुछ भी इस प्रकार के किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। जहाँ तक इसका संबंध है, या राज्य को कोई कानून बनाने से रोकता है

संबंधित, (i)
किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता, या

16 एम. पी. जैन, भारतीय संवैधानिक कानून में नागरिकता (7 वीं संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस, 2014)

((ख) नागरिकों के किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व वाले या नियंत्रित निगम द्वारा चलाया जाना, चाहे वह नागरिकों के पूर्ण या आंशिक बहिष्कार के लिए हो या नहीं।

अन्यथा "।

12. संविधान का पाठ स्पष्ट करता है कि जारी रखने का अधिकार

व्यापार या व्यवसाय उचित प्रतिबंधों के अधीन है जो आम जनता के हित में लगाए जाते हैं। इस न्यायालय ने अनुच्छेद 19 (1) (जी) के उद्देश्य के लिए "तर्कसंगतता" निर्धारित करने के लिए कई परीक्षण प्रस्तावित किए हैं। इनमें मनमानेपन के लिए परीक्षण प्रतिबंध 1 7 से लेकर,

अतिशयोक्ति 18 1 8 और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुपालन के उनके उद्देश्य को समझना। चिंतामन राव बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, 20 एक संविधान पीठ ने सामाजिक नियंत्रण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाने के महत्व पर ध्यान दिया। न्यायमूर्ति के. सी. दास गुप्ता ने अनुच्छेद 19 (6) के तहत सीमा को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया:

" 6. वाक्यांश "उचित प्रतिबंध" का अर्थ है कि अधिकार का आनंद लेने वाले व्यक्ति पर लगाई गई सीमा नहीं होनी चाहिए मनमाना या अत्यधिक प्रकृति का, जनता के हित में आवश्यकता से परे। "उचित" शब्द का अर्थ है बुद्धिमान देखभाल और विचार-विमर्श, यानी एक पाठ्यक्रम का चयन जो तर्क को निर्देशित करता है। ऐसा विधान जो मनमाने ढंग से या अत्यधिक रूप से अधिकार पर आक्रमण करता है, उसे तर्कसंगतता की गुणवत्ता को समाहित करने वाला नहीं कहा जा सकता है और जब तक कि यह गारंटीकृत स्वतंत्रता के बीच उचित संतुलन नहीं बनाता है।

अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 19 के खंड (6) द्वारा अनुमत सामाजिक नियंत्रण में, इसे उस गुण में अभाव माना जाना चाहिए।

13. एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम। निरीक्षक केरल सरकार, 2 1 इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस उदाहरण के निकाय को समेकित किया।

अनुच्छेद 19 (1) (जी) पर न्यायालय। न्यायमूर्ति एस सागीर अहमद ने निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान दिया जो अनुच्छेद 19 (6) के तहत प्रतिबंधों को नियंत्रित करते हैं:

17 द्वारका पीडी। वी. उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 224; श्री मीनाक्षी मिल्स बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 366

18 चिंतामन राव बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1951 एससी 118

19 सागीर अहमद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1955) 1 एस. सी. आर. 707; जालान ट्रेडिंग कं. वी. डी. एम. एनी, ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 233; एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम। निरीक्षक केरल सरकार, (1998) 8 एस. सी. सी. 227; भारतीय हस्तशिल्प एम्पोरियम बनाम। भारत संघ, (2003) 7 एस. सी. सी. 589

20 ए. आई. आर 1951 एस. सी 118

21 (1998) 8 एस. सी. सी. 227 अक्षय एन. पटेल बनाम।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(1) प्रतिबंधों की तर्कसंगतता पर विचार करते समय, न्यायालय को राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। (2) प्रतिबंध मनमाना या अत्यधिक प्रकृति के नहीं होने चाहिए ताकि सामान्य हित की आवश्यकता से परे जा सकें।

सार्वजनिक।

(3) प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का न्याय करने के लिए, कोई अमूर्त या सामान्य पैटर्न या एक निश्चित सिद्धांत निर्धारित नहीं किया जा सकता है ताकि सार्वभौमिक अनुप्रयोग हो और यह हर मामले के साथ-साथ बदलती स्थितियों, मानव जीवन के मूल्यों, संविधान के सामाजिक दर्शन के संबंध में भी भिन्न होगा। परिस्थितियाँ और
आसपास की परिस्थितियाँ।

(4) अनुच्छेद 19 के खंड (6) द्वारा परिकल्पित सामाजिक नियंत्रण और लगाए गए प्रतिबंधों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाया जाना चाहिए।
(5) प्रचलित सामाजिक मूल्यों के साथ-साथ सामाजिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा जिनका उद्देश्य प्रतिबंधों द्वारा संतुष्ट किया जाना है। (देखिए: यू. पी. राज्य बनाम कौशैलिया [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 416: (1964) 4 एससीआर

1002] .)

(6) लगाए गए प्रतिबंधों और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच एक प्रत्यक्ष और निकट संबंध या एक उचित संबंध होना चाहिए। यदि प्रतिबंधों और अधिनियम के उद्देश्य के बीच कोई सीधा संबंध है, तो स्वाभाविक रूप से अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में एक मजबूत धारणा उत्पन्न होगी। (देखिए:

कवलाप्परा कोट्टाराथिल कोचुनी बनाम। मद्रास और केरल राज्य

[एयर 1960 एससी 1080: (1960) 3 एससीआर 887]; ओ. के. घोष बनाम ई. एक्स. जोसेफ [ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 812: 1963 उदाहरण के लिए (1) एससीआर 789: (1962) 2

एल. एल. जे. 615]) "

14. इस न्यायालय ने लगातार यह भी माना है कि व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध पूर्ण निषेध का रूप ले सकते हैं। हालांकि, बी. पी. शर्मा बनाम. भारत संघ, 2 3 इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निषेधात्मक प्रतिबंध लगाने के लिए एक उच्च सीमा का समर्थन किया है। इस तरह के प्रतिबंध को लागू न करके आम जनता के प्रति एक वैध उद्देश्य और पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करना होगा 22 नरेंद्र कुमार बनाम। भारत संघ, एआईआर 1960 एससी 430 23 (2003) 7 एससीसी 309 [2021] 13 एस. सी. आर.

राज्य, अनुच्छेद 19 (6) के तहत तर्कसंगतता प्रदर्शित करने के अपने बोझ का निर्वहन करने के लिए। न्यायमूर्ति बृजेश कुमार ने कहा:

" 15. अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत स्वतंत्रता भी पूरी तरह से दी जा सकती है।

कुछ परिस्थितियों में कटौती जैसे कि जहाँ पेशे को चुना गया हो

स्वाभाविक रूप से इतना हानिकारक है कि किसी को भी नहीं माना जा सकता है

इस तरह के व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग को जारी रखने का मौलिक अधिकार या

जुआ, सट्टेबाजी या मादक पदार्थों का व्यापार जैसे पेशे या

सागीर अहमद बनाम। यू. पी. राज्य [एआईआर 1954 एससी 728: (1955) 1 एससीआर 707] और जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। कारखानों के मुख्य निरीक्षक

और बॉयलर [(1996) 6 एससीसी 665]। प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य अधिकार का प्रयोग व्यक्ति के बीच संतुलन बनाना है।

स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण। स्वतंत्रता, हालांकि, गारंटी के रूप में

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मूल्यवान है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

जो सार्वजनिक हित में या सिर्फ पर होने के लिए स्थापित नहीं हैं

इस आधार पर कि ऐसा करने की अनुमति है। एक पूर्ण रखने के लिए

किसी भी व्यावसायिक गतिविधि पर प्रतिबंध होना चाहिए

कुछ प्राप्त करने की दृष्टि से उसी के लिए कुछ मजबूत कारण

वैध उद्देश्य और इस तरह के लागू न करने के मामले में

इसलिए, यह एक उचित प्रतिबंध नहीं होगा यदि इस पर रखा जाए अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत गारंटीकृत अधिकार का प्रयोग। द.

वाक्यांश "आम जनता के हित में" बन गया है

कई निर्णयों पर विचार किया गया है और यह माना गया है कि

इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता जैसे इसके दायरे के हित शामिल हैं।

(जोर दिया गया)

15. इस न्यायालय द्वारा लाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का समर्थन किया गया है।

अर्थव्यवस्था पर सामाजिक नियंत्रण की स्थिति के कथित हित और व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन के बारे में। अपीलार्थी ने विधायी या प्रशासनिक कार्रवाई की गहन जांच के

लिए तर्क देने के लिए विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया है जो किसी व्यक्ति के व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। न्यायपालिका

24 मोहम्मद. फारुक वी. मध्य प्रदेश राज्य, 1969 (1) एस. सी. सी. 853; सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, (2016) 7 एस. सी. सी. 703; इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 275 अक्षय एन. पटेल बनाम।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आनुपातिकता के चार-आयामी विश्लेषण का विकास विभिन्न मानकों को विस्थापित करता है जो "तर्कसंगतता" निर्धारित करने के लिए निर्धारित किए गए थे। अनुच्छेद 19 (6) के तहत। किसी अधिकार की गुणात्मक प्रकृति और उसके उल्लंघन की संबंधित जांच की मात्रा का एकमात्र कार्य नहीं हो सकता है

(9जे) ") ने भाग III के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का निर्धारण करने के लिए आनुपातिकता विश्लेषण निर्धारित किया। आनुपातिकता विश्लेषण कर सकते हैं निषेधात्मक उपायों की संवैधानिकता पर पर्याप्त रूप से विचार करें

व्यावसायिक गतिविधियाँ। इसलिए, हम पी. पी. ई. उत्पादों में एम. टी. टी. को प्रतिबंधित करने के आर. बी. आई. के निर्णय की आनुपातिकता के विश्लेषण पर निर्णय की संरचना करेंगे, ताकि इसकी संवैधानिकता निर्धारित की जा सके।

16. के उद्देश्य के लिए वैध सामाजिक नियंत्रण का विश्लेषण

इस न्यायालय द्वारा आनुपातिकता के चश्मे से अनुच्छेद 19 (6) को सुव्यवस्थित किया गया है। ओम कुमार बनाम मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ। भारत संघ 2 6 ने निर्धारित करने के लिए आनुपातिकता का परीक्षण शुरू किया

अनुच्छेद 19 (1) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंधों की तर्कसंगतता। न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव ने इस न्यायालय के पूर्ववर्ती और तुलनात्मक संदर्भ में इस सिद्धांत के ऐतिहासिक अनुप्रयोग का पता लगाया। निर्णय ने अवधारणा को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया:

" 28. आनुपातिकता से हमारा तात्पर्य इस सवाल से है कि क्या मौलिक अधिकारों के प्रयोग को विनियमित करते समय विधायिका द्वारा उपायों का उचित या कम से कम प्रतिबंधात्मक चयन किया गया है।

या प्रशासक ताकि कानून के उद्देश्य या प्रशासनिक आदेश के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, जैसा भी मामला हो। इस सिद्धांत के तहत, अदालत यह देखेगी कि विधायिका और प्रशासनिक

प्राधिकरण "उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिकूल प्रभावों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखें जो कानून या प्रशासनिक आदेश से व्यक्तियों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं या हितों पर पड़ सकते हैं, जिसे वे पूरा करना चाहते थे।" द. हालाँकि, विधायिका और प्रशासनिक प्राधिकरण को विवेक का एक क्षेत्र या विकल्पों की एक श्रृंखला दी गई है, लेकिन यह अदालत के लिए है कि क्या किया गया विकल्प अधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन करता है या नहीं। आनुपातिकता से यही तात्पर्य है। "

25 (2017) 10 एससीसी 1, पैरा 325 26 (2001) 2 एससीसी 386 [2021] 13 एस. सी. आर.

परीक्षण को कानून की वैधता के साथ-साथ प्रशासनिक कार्रवाई के परीक्षण के लिए लागू किया गया था:

" 53. अब अनुच्छेद 19 (2) से (6) के तहत मौलिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध केवल कानून द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां ऐसा कानून बनाया गया है और प्रतिबंध अभी तक उचित हैं, यदि

संबंधित कानून ने प्रशासनिक अधिकारियों को अनुमति दी व्यक्ति में प्रतिबंध लगाते समय शक्ति या विवेक का प्रयोग करें

स्थितियों में, अक्सर सवाल उठता है कि क्या प्रशासक द्वारा प्रतिबंध लगाने के लिए गलत विकल्प चुना जाता है या क्या प्रशासक ने मौलिक अधिकार और प्रतिबंध की आवश्यकता को ठीक से संतुलित नहीं किया है या क्या उसने कम से कम प्रतिबंध लगाए हैं या उचित मात्रा में प्रतिबंध लगाए हैं आदि। ऐसे मामलों में, हमारे विचार में, हमारे देश में प्रशासनिक कार्रवाई का परीक्षण "आनुपातिकता" के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए, जैसा कि मुख्य विधान के मामले में किया जाता है। वास्तव में ऐसा किया जा रहा है।

हमारी अदालतों द्वारा।

17. मॉडर्न डेंटल कॉलेज में एक संविधान पीठ और

अनुसंधान केंद्र बनाम। मध्य प्रदेश राज्य ने अनुच्छेद 19 (6) के तहत प्रतिबंध की तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए आनुपातिकता के परीक्षण को मान्य किया। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने आनुपातिकता के सिद्धांत के बारे में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के विश्लेषण को स्वीकार किया और कहा कि यह भारत में संवैधानिक अधिकारों पर लागू होता है।

न्यायालय ने कहा:

" 63. इस दिशा में अगला सवाल यह उठता है कि दोनों पहलुओं के बीच उचित संतुलन के लिए कौन से मानदंड अपनाए जाने चाहिए। कानून द्वारा उस पर लगाए गए अधिकार और सीमाएँ। यहाँ "आनुपातिकता" की अवधारणा आती है, जो एक उचित है।

मानदंड। सटीक शब्दों में कहें तो जब कोई कानून किसी संवैधानिक अधिकार को सीमित करता है, तो ऐसी सीमा संवैधानिक होती है यदि वह आनुपातिक हो।

प्रतिबंध लगाने वाले कानून को आनुपातिक माना जाएगा।

यदि यह एक उचित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए है, और यदि

इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उठाए गए उपाय तर्कसंगत हैं

उद्देश्य से संबंधित, और ऐसे उपाय हैं

आवश्यक है। आनुपातिकता के सिद्धांत के इस सार को कनाडा के सी. जे. डिक्सन ने आर. वी. में खूबसूरती से चित्रित किया है। ओक्स [आर. वी.] ओक्स, (1986) 1 एस. सी. आर. 103 (कैन एस. सी.)], निम्नलिखित शब्दों में (पी. 138):

27 (2016) 7 एस. सी. सी. 353 अक्षय एन. पटेल बनाम।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" यह स्थापित करने के लिए कि एक सीमा उचित और स्पष्ट रूप से उचित है

एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में, दो केंद्रीय मानदंड होने चाहिए -

संतुष्ट। सबसे पहले, उद्देश्य, जिसके लिए उपाय जिम्मेदार हैं

एक चार्टर अधिकार या स्वतंत्रता पर एक सीमा सेवा करने के लिए डिज़ाइन की गई है,

एक संवैधानिक को ओवरराइड करने के लिए पर्याप्त महत्व का होना संरक्षित अधिकार या स्वतंत्रता। दूसरा। अनुभाग का आह्वान करने वाला पक्ष

1 यह दिखाना होगा कि चुने गए साधन उचित हैं और

स्पष्ट रूप से उचित है। इसमें "आनुपातिकता का एक रूप" शामिल है। "हालांकि आनुपातिकता परीक्षण की प्रकृति अलग-अलग होगी।

परिस्थितियों के आधार पर, प्रत्येक मामले में अदालतें होंगी

और समूह। मेरे विचार से इसके तीन महत्वपूर्ण घटक हैं। आनुपातिकता परीक्षण। सबसे पहले, अपनाए गए उपाय होने चाहिए।

विचाराधीन अधिकार या स्वतंत्रता को "जितना संभव हो उतना कम" बाधित करें। तीसरा, प्रभावों के बीच एक आनुपातिकता होनी चाहिए

ऐसे उपाय जो चार्टर अधिकार को सीमित करने के लिए जिम्मेदार हैं या स्वतंत्रता, और वह उद्देश्य जिसकी पहचान की गई है

" पर्याप्त महत्व "। हानिकारक प्रभाव जितने अधिक गंभीर होते हैं

उपाय उचित और स्पष्ट रूप से उचित होना चाहिए और लोकतांत्रिक समाज "।

64. अतः जो अभ्यास करना है, वह खोजने के लिए है।

कि क्या संवैधानिक अधिकारों की सीमा है

एक उद्देश्य के लिए जो एक में उचित और आवश्यक है

लोकतांत्रिक समाज और इस तरह की कवायद में शामिल है

प्रतिस्पर्धी मूल्यों का वजन बढ़ाना, और अंततः एक

आनुपातिकता अर्थात संतुलन के आधार पर मूल्यांकन अलग-अलग रुचियाँ।

(जोर दिया गया)

18. के. एस. पुट्टास्वामी (9 जे) 28 (ऊपर) में निर्णय पेश किया गया

मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन को निर्धारित करने में आनुपातिकता मानक। इस सिद्धांत की पुष्टि की गई थी

पीठ के नौ न्यायाधीशों में से पाँच के निर्णय। तत्पश्चात, के. एस. पुट्टास्वामी बनाम मामले में एक संविधान पीठ। भारत संघ 2 9 ("आधार")

(5 जे) ") आनुपातिकता विश्लेषण की रूपरेखा तैयार की और लागू की।

28 पैरा 325

29 29 (2019) 1 एससीसी 1 [2021] 13 एस. सी. आर.

यह आधार योजना और आधार अधिनियम 2016 की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए है। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने विश्व स्तर पर आनुपातिकता विश्लेषण के प्रकारों का तुलनात्मक विश्लेषण किया और एक चार-आयामी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जो भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त हो सकता है। यह परीक्षण निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित किया गया था:

" 319. ..... इस चर्चा से पता चलता है कि निम्नलिखित चार उप

आनुपातिकता के घटकों को संतुष्ट करने की आवश्यकता है:

319.1 . किसी अधिकार को प्रतिबंधित करने वाले उपाय का एक वैध लक्षय होना चाहिए।

(वैध लक्षय चरण)।

319.2 . यह इस लक्षय को आगे बढ़ाने का एक उपयुक्त साधन होना चाहिए (उपयुक्तता)।

319.3 . कोई कम प्रतिबंधात्मक लेकिन समान रूप से प्रभावी विकल्प (आवश्यकता चरण) नहीं होना चाहिए। 319.4 . इस उपाय का असमान प्रभाव नहीं होना चाहिए

सही धारक (संतुलन चरण) "।

19. इस प्रकार इस न्यायालय ने आनुपातिकता का एक चार-आयामी परीक्षण प्रस्तावित किया है। इसका उपयोग अब 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों के खंड 2 (iii) की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।

20. इससे पहले कि हमारा विश्लेषण उपरोक्त दिशा में आगे बढ़े, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी ने संवैधानिकता को चुनौती दी है

2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों के खंड 2 (iii) के अनुच्छेद 14,19 (1) (जी) और 21 के तहत उनके अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए। इसलिए, इस अदालत को यह निर्धारित करना है कि क्या पी. पी. ई. उत्पादों में एम. टी. टी. को प्रतिबंधित करने के लिए आर. बी. आई. का प्रतिबंध है यह अनुच्छेद 14 के तहत अपीलार्थी के समानता के अधिकार को इस आधार पर प्रतिबंधित करता है कि यह मनमाना है, क्या यह अनुच्छेद 19 (6) के साथ पठित अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत व्यापार करने की अपीलार्थी की स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध है, और यदि यह अनुच्छेद 21 के तहत अपीलार्थी की स्वतंत्रता और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करता है।

21. इनमें से प्रत्येक अधिकार के उल्लंघन से जुड़े आरोपों पर अक्सर स्वतंत्र रूप से और अपने स्वयं के ढांचे के भीतर विचार किया जाता है।

इस न्यायालय के पूर्वजों द्वारा निर्धारित सीमा। हालाँकि, इन अनुच्छेदों के तहत प्रत्येक सीमा के पीछे की जांच का सार आनुपातिकता विश्लेषण के समान है। मूल रूप से, अधिकार '

सीमा को उचित माना जाता है यदि यह एक वैध उद्देश्य का पीछा करता है, उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध रखता है और अधिकार की सीमा और सार्वजनिक हित के बीच एक संतुलन है जिसे अधिकार-सीमा का उद्देश्य प्राप्त करना है।

अक्षय एन. पटेल बनाम. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस विश्लेषण को आनुपातिकता जांच के समान माना गया है, जिसमें "आवश्यकता" शब्द को गायब माना गया है।

22. कुछ अकादमिक टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया है कि विभिन्न सीमाओं के साथ अधिकारों पर विचार करते समय भी न्यायालय आनुपातिकता विश्लेषण को अपना सकते हैं। वे इसे तीन कारणों से बताते हैं: (i) अधिकारों की मुकदमेबाजी अक्सर खुली-खुली हो सकती है, जिससे विभिन्न मामलों में विश्लेषण के असंगत होने का खतरा है। इसलिए, एक औपचारिक संतुलन प्रक्रिया, जैसे कि आनुपातिकता विश्लेषण, तर्कों को एक संरचना प्रदान करने में उपयोगी है; (ii) कई क्षेत्राधिकारों में, अधिकार के प्रावधान में ही एक सीमा खंड (जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19) शामिल है और फिर भी, अदालतों ने आनुपातिकता विश्लेषण का उपयोग करने का विकल्प चुना है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय सीमा खंड के अनुप्रयोग का परीक्षण करने के लिए आनुपातिकता विश्लेषण का उपयोग करते हैं; और (iii) आनुपातिकता विश्लेषण विशेष रूप से तब सहायक होता है जब किसी अधिकार और उसकी सीमा के बीच के विवाद को एक अधिकार और एक उपाय के बीच के विवाद के रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है जो उस अधिकार को सीमित करता है लेकिन केवल एक अलग अधिकार को बढ़ावा देने के लिए।

23. दूसरी ओर, येल लॉ जर्नल में एक प्रबुद्ध लेख में, प्रोफेसर विक्की जैक्सन ने बताया है कि संरचनात्मक हैं

विभिन्न अधिकारों के बीच अंतर, जिसके कारण आनुपातिकता विश्लेषण हो सकता है कि यह उनमें से कुछ के लिए उपयुक्त न हो। जबकि प्रोफेसर जैक्सन संतुलन के सिद्धांत से सहमत हैं जो एक सिद्धांत के रूप में आनुपातिकता को रेखांकित करता है, वह सावधानी का एक नोट जारी करती है कि कुछ अधिकारों का संरक्षण हो सकता है

श्रेणीबद्ध नियमों के लिए बेहतर अनुकूल। फिर भी, प्रोफेसर जैक्सन जहां भी संभव हो आनुपातिकता विश्लेषण के उपयोग का समर्थन करते हैं और निम्नलिखित परिच्छेद 3 2 में इसके लाभों को नोट करते हैं:

" उल्लंघन को परिभाषित करने के लिए आनुपातिकता का उपयोग करना, निश्चित रूप से, उपचार को निर्देशित नहीं करता है या अलग-अलग के आधार पर अधिकारों की परिभाषाओं को बाहर नहीं करता है।

डिओन्टोलॉजिकल या ऐतिहासिक प्रश्न। तथापि, आनुपातिकता का अधिक उपयोग, एक सिद्धांत के रूप में और समीक्षा के एक संरचित रूप के रूप में,

इसके कई संभावित लाभ हैं। यह न्यायिक तर्क को बढ़ा सकता है।

स्वतंत्रता पर सीमाओं के लिए औचित्य को स्पष्ट करके।

आनुपातिकता निर्णय के परिणामों में भी सुधार कर सकती है।

30 अपर्णा चंद्र, "भारत में आनुपातिकता - ए ब्रिज टू नोव्हेयर (2020) 3 (2) यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ह्यूमन राइट्स हब जर्नल 55 31 एलेक स्टोन स्वीट और जूड मैथ्यूज, "आनुपातिक संतुलन और वैश्विक संविधानवाद" (2008-2009) 47 कोलंबिया जर्नल ऑफ ट्रांसनेशनल लॉ 72 32 विकी सी जैक्सन, "आनुपातिक युग में संवैधानिक कानून" (2015) 124 (8) येल लॉ जर्नल 3094 [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संवैधानिक कानून को न्याय की अवधारणाओं के करीब लाकर,

प्रभावी सरकार की मांगों के अनुरूप तरीके। अंत में, आनुपातिकता लोकतंत्र-वृद्धि हो सकती है, दोनों कार्रवाई के लिए औचित्य का एक साझा प्रवचन प्रदान करने में

अधिकारों को सीमित करने और गंभीर प्रक्रिया के प्रति अधिक संवेदनशीलता प्रदान करने में

विशेष के खिलाफ निहित पूर्वाग्रहों को दर्शाने वाली कमियां

समूह "।

24. आनुपातिकता विश्लेषण को अपनाना न केवल एक औपचारिक संरचना प्रदान करता है जिसके माध्यम से अमूर्त अधिकार मुकदमों का विश्लेषण किया जा सकता है, बल्कि यह

साथ ही (जब ठीक से लागू किया जाता है) व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हुए न्यायिक तर्क की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता रखता है। जैसा कि आधार (5 जे) (ऊपर) में उल्लेख किया गया है, आनुपातिकता विश्लेषण का उपयोग एक से बदलाव को दर्शाता है

3 3 औचित्य की संस्कृति के लिए अधिकार की संस्कृति जहां राज्य की कार्रवाई को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल्बी सैक्स ने भी अपने संस्मरण द स्ट्रेंज अल्केमी ऑफ लाइफ एंड लॉ 3 4 में इस बदलाव का वर्णन किया है। अपने संविधान की शुरुआत के साथ दक्षिण अफ्रीका में औचित्य की संस्कृति के लिए अधिकार की संस्कृति:

संवैधानिक लोकतंत्र बनने के लिए एक सत्तावादी, नस्लवादी राज्य होने के कारण प्रोफेसर एटिने मुरेनिक ने कानूनी निर्णय के चरित्र के बारे में एक यादगार बयान दिया। चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि हम एक पुल पार कर रहे थे

अधिकार की संस्कृति से लेकर औचित्य की संस्कृति तक। द. न्यायिक कार्य के लिए निहितार्थ बहुत बड़े साबित हुए। और यह हमारा न्यायालय था जिसे आवश्यक परिवर्तनों को अपनाने और आंतरिक बनाने के लिए कानूनी समुदाय का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था।

केवल तकनीकी बदलाव करने से कहीं अधिक इसमें शामिल था

जिसे वकील एक शाब्दिकवादी से व्याख्या के लिए एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण कहते हैं। संविधान ने न्यायिक कार्य की प्रकृति में एक बड़ा बदलाव लाया। [इसने] आगे बढ़ने की आवश्यकता पैदा कर दी। कथित रूप से आवेदन के आधार पर एक दृष्टिकोण से परे

अधिकांश मामलों में कर्तव्य स्वीकार करने के लिए अक्षम्य नियम

न्यायाधीशों को संवैधानिक रूप से नियंत्रित करने के लिए

विवेकपूर्ण। परिवर्तन में एक यात्रा शामिल थी

वर्गीकरण और कड़ाई से पालन के साथ व्यस्तता

33 पैरा 1276 34 एल्बी सैक्स, द स्ट्रेंज अल्केमी ऑफ लाइफ एंड लॉ (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2009)

अक्षय एन. पटेल बनाम. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

तौल के सैद्धांतिक तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए औपचारिक नियम

के तथ्यों द्वारा प्रेरित प्रतिस्पर्धी हितों को ऊपर उठाना

मामला और एक खुले के मूल्यों के प्रकाश में मूल्यांकन और लोकतांत्रिक समाज
"।

(जोर दिया गया)

इसलिए, इस न्यायालय को बिना किसी हिचकिचाहट के आनुपातिकता का उपयोग करना चाहिए

अपीलार्थी के अधिकारों के उल्लंघन का आकलन करते समय

क्लेस 14,19 (1) (जी) और 21।

25. वर्तमान मामला एक और मुद्दा खड़ा करता है, जो यह है कि क्या

मूल्यांकन के लिए ग्रेटेड आनुपातिकता विश्लेषण किया जा सकता हैतीनों अधिकारों का हनन। यह एक स्थिर सिद्धांत है कि मौलिक अधिकारों की कला III को सिलोस में नहीं, बल्कि एक अंतर-संबंधित उच्चारण के रूप में समझा जाता है।

जीएचटीएस और स्वतंत्रताएँ जो मानवाधिकारों के बुनियादी रूब्रिक को बनाए रखती हैं। अ.

रुस्तम कावासजी कूपर बनाम में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ। संघ

भारत 3 5 ने न्यायमूर्ति जे. सी. शाह के माध्यम से बोलते हुए कहा था:

" 52 ..... के उच्चारण को ध्यान में रखना आवश्यक है

मौलिक अधिकारों की गारंटी जो विभिन्न रूप ले चुकी है। कुछ मामलों में यह एक गारंटीकृत अधिकार की स्पष्ट घोषणा है:

अनुच्छेद 29 (1), 30 (1), 26,25 और 32; अन्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के लिए वे राज्य पर प्रतिबंधों के विशिष्ट रूप लेते हैं।

कार्रवाई विधायी या कार्यकारी-अनुच्छेद 14,15,16,20,21,

22 (1) , 27 और 28; कुछ अन्य में, यह एक सकारात्मक का रूप लेता है घोषणा करते हुए और साथ ही उस पर प्रतिबंध का प्रतिपादन करते हुए:

राज्य और अन्य के खिलाफ सामान्य निषेध: अनुच्छेद 17, 23 और 24. अधिकारों की घोषणा या तो व्यक्त या द्वारा

निहितार्थ एक समान पैटर्न का पालन नहीं करता है। लेकिन एक

धागा उनके माध्यम से चलता है: वे अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं

व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के खिलाफ

विशिष्ट सीमाओं के भीतर उन अधिकारों का उल्लंघन। भाग III संविधान की गारंटी का एक पैटर्न बुनता है

बुनियादी मानवाधिकारों की बनावट। गारंटियों का परिसीमन

उनके आवंटित क्षेत्रों में उन अधिकारों का संरक्षण: वे करते हैं

विशिष्ट अधिकारों का प्रतिपादन करने का प्रयास न करें।

(जोर दिया गया)

970) 1

एससीसी 248 [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. संवैधानिक अधिकारों की अवधारणा इसके बिना अधूरी है।

उनकी संबंधित सीमाओं का विश्लेषण करना। इस अदालत ने भी गौर किया है

कि तर्कसंगतता का एक अंतर्निहित धागा संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है। शायरा बानो बनाम में एक संविधान पीठ। भारत संघ ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया कि प्रत्येक अनुच्छेद के तहत चुनौतियों पर सख्ती से विचार किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने टिप्पणी की थी:

84. दूसरा कारण यह दिया गया है कि अनुच्छेद के तहत एक चुनौती

14 के तहत एक चुनौती से अलग देखा जाना है

अनुच्छेद 19, जो ए. के. गोपालन बनाम के दृष्टिकोण की पुनरावृत्ति है। मद्रास राज्य [ए. के. गोपालन बनाम। की स्थिति

मद्रास, 1950 एससीआर 88: ए. आई. आर. 1950 एससी 27: (1950) 51 क्रि एल. जे.

1383] कि मौलिक अधिकारों को जलरोधी में देखा जाना चाहिए

कूपर वी। भारत संघ [रुस्तम कावासजी कूपर बनाम। भारत संघ, (1970) 1 एस. सी. सी. 248] और उसके बाद मेनका गांधी [मेनका गांधी बनाम। भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248]। कानून में मनमानी बहुत हद तक अनुचितता का एक पहलू है।

अनुच्छेद 19 (2) से (6) में, जैसा कि इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित किया गया है, जिनमें से कुछ का उल्लेख ओम कुमार में किया गया है।

कुमार बनाम। भारत संघ, (2001) 2 एस. सी. सी. 386: 2001 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 1039] और, इसलिए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उपरोक्त अर्थों में मनमानेपन का उपयोग इसके तहत कानून को निरस्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 14 भी।

[.....]

87. तर्कसंगतता का धागा पूरे क्षेत्र में चलता है।

मौलिक अधिकार अध्याय। जो स्पष्ट रूप से मनमाना है वह है

स्पष्ट रूप से अनुचित और नियम के विपरीत होना

कानून, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा। इसके अलावा, एक स्पष्ट है

तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में विरोधाभास

मैकडॉवेल में [स्टेट ऑफ ए. पी. बनाम। मैकडॉवेल एंड कंपनी, (1996) 3 एससीसी

709] जब यह कहा जाता है कि एक संवैधानिक चुनौती

इस आधार पर सफल होते हैं कि एक कानून "असमान" है,

अत्यधिक या अनुचित ", फिर भी ऐसी चुनौती विफल हो जाएगी

कानून के "अनुचित" होने के आधार पर,

अनावश्यक या अनुचित "। मनमानी का सिद्धांत

36 (2017) 9 एस. सी. सी. 1 अक्षय एन. पटेल बनाम।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जब कानून पर लागू किया जाता है तो स्पष्ट रूप से इसमें शामिल नहीं होगा बाद की चुनौती लेकिन केवल एक कानून होना शामिल होगा

असमान, अत्यधिक या अन्यथा स्पष्ट रूप से होना

अनुचित है। अतः उपरोक्त सभी आधार ऐसा नहीं करते हैं। राज्य की विभिन्न कार्रवाइयों के बीच अंतर करना चाहते हैं।

प्रपत्र, जिनमें से सभी को बाधित किया जाता है यदि वे गलत होते हैं

व्यक्तियों और नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकार

संविधान का भाग III "।

(जोर दिया गया)

27. आधार (5 जे) (ऊपर) में संविधान पीठ ने भी कार्य किया

निजता, गरिमा, चयन और बुनियादी अधिकारों तक पहुंच के अधिकारों में राज्य के हस्तक्षेप की आनुपातिकता निर्धारित करने के लिए एक एकीकृत आनुपातिकता विश्लेषण। इसलिए, न्यायालय एक एकीकृत व्यवस्था अपना सकता है।

आनुपातिकता विश्लेषण जहाँ प्रत्येक अधिकार पर सीमा सामान्य है और उन्हें समान रूप से प्रभावित करती है। वर्तमान मामले में, सीमा (यानी 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों का खंड 2 (iii)) वह है जो अनुच्छेद 14,19 (1) (जी) और 21 के तहत अपीलार्थी के अधिकारों को प्रभावित करता है। इसके अलावा, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि सीमा मनमाना है, एक उचित प्रतिबंध नहीं है और उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना सोचे समझे किसी उत्पाद के आयात/निर्यात पर प्रतिबंध को उस उत्पाद के संबंध में एम. टी. टी. के निषेध से जोड़ा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खंड 2 (iii) की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए अपीलार्थी की दलीलें समान आधारों पर हैं, और इसलिए एक एकीकृत आनुपातिकता विश्लेषण को अपनाया जा सकता है। हालाँकि, इस न्यायालय को सावधानी का एक नोट जारी करना चाहिए-जबकि एक एकीकृत आनुपातिकता विश्लेषण को अपनाया गया है

इस मामले में अधिकारों पर सीमा (अनुच्छेद 14,19 (1) (जी) और 21 के तहत) का आकलन करते हुए, यह उन सभी मामलों के लिए सच नहीं हो सकता है जहां ऐसी सीमाएं होती हैं।

क्योंकि अधिकारों का कथित उल्लंघन विशिष्ट रूप से अलग हो सकता है या कथित सीमा अधिकारों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित कर सकती है।

28. अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय के उदाहरण

प्रतिबंध की तर्कसंगतता और यह कि यह आम जनता के हित में है। विवादित अधिसूचना जारी करने में भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार है 37 पैरा 1277 38 सुखनंदन सरन दिनेश कुमार बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 902; लक्ष्मी खंडसारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 860 [2021] 13 एस.

चुनौती में नहीं। इसके अतिरिक्त, पी. पी. ई. उत्पादों की पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य की वैधता भी चुनौती में नहीं है। अपीलार्थी घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और इसके दायरे में व्यापक होने के लिए एम. टी. टी. को प्रतिबंधित करने वाले उपाय की उपयुक्तता पर जोर देता है, क्योंकि दो अलग-अलग देशों के बीच एम. टी. टी. में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाली एक भारतीय संस्था भारत में पी. पी. ई. उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करती है। इस प्रकार, यह न्यायालय विवादित उपाय (2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों का खंड 2 (iii)) की आनुपातिकता निर्धारित करने में आर. बी. आई. द्वारा प्रस्तुत औचित्य पर भरोसा करेगा। इस विश्लेषण को निम्नलिखित प्रश्नों के साथ संरचित किया जाएगाः

((i) क्या यह एक वैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने का उपाय है? ; ((ख) क्या यह उपाय ऐसे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है? ;

((ग) क्या लक्षय की प्राप्ति के लिए उपाय आवश्यक है? ; और (iv) क्या माप के अधिकार के साथ पर्याप्त रूप से संतुलित है

व्यक्तिगत?

सी. 1 वैधता

29. परीक्षण के इस हिस्से में एक उद्देश्य की वैधता का मूल्यांकन शामिल है जो कथित रूप से एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। यह उपाय करना चाहिए

एक उचित उद्देश्य, अर्थात एक वैध लक्षय के लिए नामित किया जाए। के. एस. पुट्टास्वामी (9 जे) (उपरोक्त) मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में से पांच न्यायाधीशों ने आनुपातिकता का आकलन करने के लिए पहले हिस्से के रूप में "वैध राज्य हित" की सीमा को अपनाया। यह राज्य हित संवैधानिक अधिकार या स्वतंत्रता को ओवरराइड करने के लिए भी पर्याप्त महत्व का होना चाहिए। इस मामले में,

पी. पी. ई. उत्पादों के निर्यात, आयात और एम. टी. टी. पर प्रतिबंध वैश्विक स्वास्थ्य महामारी के दौरान पर्याप्त घरेलू आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए पी. पी. ई. उत्पादों का पर्याप्त भंडार महत्वपूर्ण है। आपूर्ति सुनिश्चित करने का राज्य का उद्देश्य अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाना है जो राज्य के जनता के सुधार को अनिवार्य करता है।

अनुच्छेद 47 के तहत प्राथमिक कर्तव्य के रूप में स्वास्थ्य। अपीलार्थी ने भारत में पर्याप्त पी. पी. ई. सुनिश्चित करने के इस उद्देश्य की वैधता को चुनौती नहीं दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2021 को अपना हलफनामा दाखिल करते समय देश में महामारी की स्थिति और पी. पी. ई. उत्पादों का पर्याप्त

भंडार सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया था। कार्यपालिका का उद्देश्य पर्याप्त सुनिश्चित करना है

39 आधार (5 जे) (ऊपर), पैरा 321-322 अक्षय एन पटेल बनाम।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

वर्तमान महामारी को देखते हुए, पी. पी. ई. उत्पादों की उपलब्धता

वैध है। तदनुसार, हम मानते हैं कि विवादित उपाय एक वैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियमित किया गया है जो पर्याप्त महत्व का है

यह व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर हावी है।

सी. 2 उपयुक्तता

पी. पी. ई. उत्पादों को। यह इस बात का विश्लेषण करेगा कि क्या प्रस्तावित उपाय बताए गए उद्देश्य को आगे बढ़ा सकता है। यह समझने के लिए कि क्या पी. पी. ई. उत्पादों के संबंध में एम. टी. टी. का निषेध उपयुक्त था, हमें पहले उस ढांचे का विश्लेषण करना चाहिए जिसके तहत आर. बी. आई. भारत में एम. टी. टी. को नियंत्रित करता है।

31. एम. टी. टी. को फेमा के तहत आर. बी. आई. द्वारा विनियमित किया जाता है।

1 जून 2000 को लागू हुआ। फेमा के तहत, भारत में विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, विनियमन और पर्यवेक्षण करना भारतीय रिजर्व बैंक का कर्तव्य है। फेमा की धारा 34 0 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति विदेश में सौदा नहीं कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना विनिमय। धारा 10 (1) 4 1 1 के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक किसी संस्था को "अधिकृत" बनने की अनुमति दे सकता है।

40 3. विदेशी मुद्रा आदि में लेनदेन-इस अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, या रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति से, कोई भी व्यक्ति (ए) किसी भी विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का सौदा या हस्तांतरण किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं करेगा जो अधिकृत व्यक्ति नहीं है।

(ख) भारत के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से कोई भुगतान करना या उसके क्रेडिट के लिए भुगतान करना;

(ग) किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से, आदेश द्वारा या किसी भी तरह से भारत के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई भुगतान प्राप्त करें; स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजन के

लिए, जहां भारत में कोई भी व्यक्ति, या निवासी, आदेश द्वारा या भारत के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई भुगतान प्राप्त करता है।

भारत के बाहर किसी भी स्थान से संबंधित आंतरिक प्रेषण के बिना किसी अन्य व्यक्ति (एक अधिकृत व्यक्ति सहित) के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति को एक अधिकृत व्यक्ति के अलावा अन्यथा ऐसा भुगतान प्राप्त किया हुआ माना जाएगा।

(घ) किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण या अधिग्रहण के अधिकार के निर्माण या हस्तांतरण के लिए या उसके साथ विचार के रूप में भारत में कोई वित्तीय लेनदेन करना।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजन के लिए, "वित्तीय लेन-देन" का अर्थ है किसी व्यक्ति को या उसके ऋण के लिए कोई भुगतान करना, या किसी व्यक्ति के लिए, आदेश द्वारा या उसकी ओर से कोई भुगतान प्राप्त करना, या कोई विनिमय पत्र या वचन पत्र निकालना, जारी करना या बातचीत करना, या कोई प्रतिभूति हस्तांतरित करना या किसी ऋण को स्वीकार करना। 41 10. अधिकृत व्यक्ति। (1) रिजर्व बैंक, इस ओर से उसे किए गए आवेदन पर, किसी भी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा में या विदेशी प्रतिभूतियों में, एक अधिकृत व्यापारी, मुद्रा परिवर्तक या अपतटीय बैंकिंग इकाई के रूप में या किसी अन्य तरीके से सौदा करने के लिए अधिकृत कर सकता है जो वह उचित समझे।

व्यक्ति "जो विदेशी मुद्रा में सौदा कर सकता है। इसके अलावा, धारा 10 (4) में प्रावधान है कि ऐसे अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे। विदेशी मुद्रा में लेनदेन करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक। धारा 10 (4) इस प्रकार है:

" 10. (4) एक अधिकृत व्यक्ति, विदेशी मुद्रा या विदेशी सुरक्षा में अपने सभी लेन-देन में, ऐसे सामान्य या विशेष निर्देशों या आदेशों का पालन करेगा जैसे कि रिजर्व

बैंक, समय-समय पर, देने के लिए उचित सोच सकता है, और रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के अलावा, एक अधिकृत व्यक्ति

किसी भी विदेशी मुद्रा या विदेशी सुरक्षा से जुड़े किसी भी लेनदेन में संलग्न नहीं होगा जो इस धारा के तहत उसके प्राधिकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक को धारा 11 (1) के तहत अधिकृत व्यक्तियों को निर्देश जारी करने की शक्ति दी गई है। धारा 11 (1) में प्रावधान है:

" 11. निर्देश जारी करने के लिए रिजर्व बैंक की शक्तियाँ अधिकृत व्यक्ति। (1) रिजर्व बैंक, इस उद्देश्य के लिए

इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम, विनियम, अधिसूचना या निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, अधिकृत व्यक्तियों को भुगतान करने या विदेश से संबंधित कोई कार्य करने या करने से बचने के संबंध में कोई निर्देश देना।

विनिमय या विदेशी सुरक्षा "।

32. यह धारा 11 (1) के साथ पठित धारा 10 (4) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अगस्त को एक परिपत्र जारी किया

2000 , जिसने फेमा के संबंध में अधिकृत विक्रेताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। एम. टी. टी. के संबंध में परिपत्र का प्रासंगिक भाग नीचे निकाला गया है:

" भाग बी-व्यापारिक व्यापार अधिकृत विक्रेता आवश्यक सावधानी बरत सकते हैं

व्यापारी व्यापार लेन-देन या मध्यस्थ व्यापार को संभालना

लेन-देन यह सुनिश्चित करने के लिए कि (ए) में शामिल माल

लेन-देन को भारत में आयात करने की अनुमति है, (बी) ऐसे लेनदेन में एक अवधि के लिए विदेशी मुद्रा परिव्यय शामिल नहीं है।

तीन महीने से अधिक, और (ग) सभी नियम, विनियम और

आयात पर लागू निर्देशों का पालन किया जाता है व्यापारिक व्यापार लेन-देन का आयात चरण। अधिकृत

42 एपी. (डी. आई. आर. शृंखला) परिपत्र सं. 9 अक्षय एन. पटेल बनाम।

विक्रेताओं को भुगतान की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

इस तरह के लेनदेन का निर्यात चरण।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि एक एम. टी. टी. केवल संबंध में हो सकता है।

जिन वस्तुओं के भारत में आयात की अनुमति थी। 19 जून 2003 के परिपत्र 3 में भी इसी तरह का निर्देश बरकरार रखा गया था।

33. इसके बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 जनवरी 2014 को एक परिपत्र जारी किया।

"व्यापारिक व्यापार लेनदेन" शीर्षक से, जिसने निर्यातकों को सेवाओं/सुविधाओं पर तकनीकी समिति की सिफारिशों के आलोक में एम. टी. टी. दिशानिर्देशों को संशोधित किया। परिपत्र के खंड 2 (i) में उल्लेख किया गया है:

" i) व्यापार या मध्यस्थ व्यापार में शामिल वस्तुएँ

लेन-देन वे होंगे जिनकी निर्यात के लिए अनुमति है /

भारत की प्रचलित विदेश व्यापार नीति (एफ. टी. पी.) के तहत आयात, अनुबंध में प्रवेश करने के समय और सभी नियम, विनियम

और निर्यात पर लागू निर्देश (निर्यात घोषणा को छोड़कर)

प्रपत्र) और आयात (प्रवेश पत्र को छोड़कर) का अनुपालन किया जाता है

क्रमशः निर्यात चरण और आयात चरण; "

इसलिए, परिपत्र ने पहले की आवश्यकता को संशोधित किया और अब

स्पष्ट किया कि जिन वस्तुओं के संबंध में एम. टी. टी. एस. का संचालन नहीं किया जा सकता है

एफ. टी. पी. के तहत आयात और निर्यात प्रतिबंधित हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह निर्यातकों को सेवाओं/सुविधाओं पर तकनीकी समिति द्वारा दिए गए एक सुझाव पर आधारित था, जिसमें निम्नानुसार कहा गया था:

" व्यापारिक व्यापार से जुड़े मुद्दे

[.....]

4.9 व्यापारिक व्यापार के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को अनुमति दी जानी चाहिए

प्रचलित विदेशी नियमों के अनुसार देश में निर्यात/आयात किया जाए।

अनुबंध में प्रवेश करने के समय व्यापार नीति (एफ़. टी. पी.)

विदेशी आपूर्तिकर्ता, व्यापार में प्रवेश करने से बचने के लिए

जिन अनुबंधों के तहत आयात/निर्यात की अनुमति नहीं है

एफ. टी. पी. निर्यातक के हितों की रक्षा के लिए, निर्यात चरण

लेन-देन को पत्र द्वारा कवर करने की सिफारिश की जा सकती है

ई. सी. जी. सी. से बीमा के माध्यम से ऋण (या)।

43 एपी. (डी. आई. आर. श्रृंखला) परिपत्र सं. 106 44 ए. पी. (डी. आई. आर. श्रृंखला) परिपत्र संख्या 95 [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. इन दिशानिर्देशों को जल्द ही 28 मार्च 2014 के एक परिपत्र 45 के माध्यम से संशोधित किया गया। हालांकि, इसमें कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ था आवश्यकता है कि जिन वस्तुओं का आयात/निर्यात एफ़. टी. पी. के तहत निषिद्ध है, उनके संबंध में एम. टी. टी. का संचालन नहीं किया जा सकता है। का सुसंगत खंड

वृत्ताकार निम्नानुसार निकाला जाता है:

" (ii) व्यापारिक व्यापार लेन-देन में शामिल वस्तुएं वे होंगी जिन्हें भारत की प्रचलित विदेश व्यापार नीति (एफ. टी. पी.) के तहत निर्यात/आयात के लिए अनुमति दी गई है और निर्यात पर लागू सभी नियम, विनियम और निर्देश (निर्यात घोषणा प्रपत्र को छोड़कर) और आयात (प्रवेश पत्र को छोड़कर) का अनुपालन निर्यात चरण और आयात चरण के लिए किया जाता है।

क्रमशः; "

उन वस्तुओं के संबंध में निषिद्ध है जिनके निर्यात की एफ़. टी. पी. के तहत अनुमति नहीं है। 36. आर. बी. आई. फेमा के तहत अधिकृत व्यक्तियों को दिशा-निर्देश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। फेमा को "समेकित करने के लिए अधिनियम" के रूप में पेश किया गया था।

और विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून में संशोधन करना। इसलिए, फेमा के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने की दृष्टि से भारत के विदेशी मुद्रा बाजार को विनियमित किया जाए। की समीक्षा पर

2000 से एम. टी. टी. के संबंध में आर. बी. आई. द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश स्पष्ट हैं कि उनमें से अधिकांश तकनीकी प्रकृति के हैं और भारत के विदेशी भंडार के व्यापार के तरीके को विनियमित करना चाहते हैं।

नतीजतन, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन उत्पादों को वर्गीकृत करने का नीतिगत निर्णय नहीं लिया है जिनके लिए एम. टी. टी. की अनुमति नहीं है, लेकिन एफ. टी. पी. के तहत यू. ओ. आई. द्वारा लिए गए निर्णय पर भरोसा करने का विकल्प चुना है।

45 एपी. (डी. आई. आर. श्रृंखला) परिपत्र No.115 अक्षय एन. पटेल बनाम।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

37. ऐसा निर्णय, उन उत्पादों के संबंध में जिसमें भारत में आयात या निर्यात प्रतिबंधित है, यू. ओ. आई. द्वारा धारा 3 (2) के तहत किया जाता है।

विदेशी व्यापार अधिनियम। धारा 3 (2) निम्नलिखित प्रावधान करती है:

" 3. आयात से संबंधित प्रावधान करने की शक्तियाँ और

निर्यात करते हैं। — ..... (2) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, सभी मामलों में या मामलों के निर्दिष्ट वर्गों में वस्तुओं या सेवाओं के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करने, प्रतिबंधित करने या अन्यथा विनियमित करने का प्रावधान कर सकती है और ऐसे अपवादों के अधीन, यदि कोई हो, जो आदेश द्वारा या उसके तहत किए जा सकते हैं।

या तकनीक:

बशर्ते कि सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात के मामले में इस उप-धारा के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब सेवा या प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ उठा रहा हो या निर्दिष्ट सेवाओं या निर्दिष्ट सेवाओं के साथ काम कर रहा हो।

तकनीक "।

38. धारा 3 (2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यू. ओ. आई. ने 8 फरवरी 2020 से कई अधिसूचनाएं जारी कीं, जो प्रतिबंधित थीं।

अपने घरेलू रखरखाव की आवश्यकता के कारण सभी पी. पी. ई. उत्पादों का निर्यात

कोविड-19 महामारी के दौरान स्टॉक। वाणिज्य मंत्रालय और डी. जी. एफ. टी. की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री विक्रमजीत बनर्जी ने बताया कि 25 अगस्त 2020 की अधिसूचना अब वर्गीकृत करती है। पी. पी. ई. मास्क और एन-95/एफ. एफ. पी. 2 मास्क का निर्यात "प्रतिबंधित" ("निषिद्ध" के बजाय) के रूप में किया जाता है और उनके निर्यात को प्रति माह 50 लाख इकाइयों तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि सभी वर्गों/श्रेणियों के मेडिकल कवरऑल (पी. पी. ई. ओवरऑल सहित) को "मुक्त" श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है, यानी वे स्वतंत्र रूप से निर्यात योग्य होते हैं।

39. अपीलार्थी ने भारत के नियमों के तहत माल के एम. टी. टी. को उनके निषेध के साथ जोड़ने के आर. बी. आई. के फैसले की उपयुक्तता को चुनौती दी है।

40. अपने हलफनामे में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित शब्दों में एम. टी. टी. की उत्पत्ति की व्याख्या की है: 46 अधिसूचना संख्या 29/2015-2020 [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि व्यापारिक व्यापार लेन-देन (इसके बाद "एम. टी. टी". के रूप में संदर्भित) के तहत एक भारतीय नागरिक किसी निर्यातक देश (भारत के अलावा) की कंपनी या व्यक्ति से वस्तु या सामग्री के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है और फिर उक्त वस्तु या सामग्री का आयात/आपूर्ति किसी अन्य देश में किसी कंपनी या व्यक्ति को करता है, जो भारत के अलावा अन्य देश में भी है। संक्षेप में, एम. टी. टी. द्वारा भारतीय नागरिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए, दो अलग-अलग देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एम. टी. टी. बहुत निकटता से समान हैं, और इसमें निर्यात के साथ-साथ आयात के सभी तत्व हैं, सिवाय इस तथ्य के कि माल भौतिक रूप से भारत में स्थित नहीं हैं। लेन-देन के पहले चरण, जिसे आयात चरण के रूप में जाना जाता है, में स्थित इकाई द्वारा विदेशी मुद्रा के परिव्यय की आवश्यकता होती है। भारत विदेशों में खरीदे जा रहे सामानों के लिए भुगतान करने के उद्देश्य से लेन-देन करता है। भुगतान भारतीय संस्था द्वारा विदेशी मुद्रा निकालकर किया जाता है या

अपने बैंकर, विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलर (यानी अधिकृत डीलर बैंक) से भी भारत में ऋण पत्र प्राप्त करना।

भारत में स्थित है। इस प्रकार, भारत के साथ लेन-देन के पहले चरण और इसमें विदेशी मुद्रा की भागीदारी का स्पष्ट संबंध है भंडार। यह
आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एक सफल व्यापार में, भारतीय इकाई जो विदेशों में माल खरीदती है, लेन-देन के दूसरे चरण में अपने पैसे की वसूली करती है, जिसे निर्यात चरण के रूप में जाना जाता है।

माल अपने खरीदार को, जो विदेश में भी स्थित है, लेकिन पैसा कानून के तहत एक सख्त समय सीमा के भीतर भारतीय इकाई, जो भारत में स्थित है, के क्रेडिट में भारत को वापस किया जाना है।

उपरोक्त उद्धरण से एम. टी. टी. एस. की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं सामने आती हैं: (i) माल का मूल आपूर्तिकर्ता और अंतिम खरीदार विदेशी निकाय हैं, जिसमें भारतीय इकाई उनके बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है; (ii) आपूर्तिकर्ता और खरीदार के बीच हाथ बदलते समय माल भारत के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है; (iii) भारतीय विदेशी भंडार को तब फंसाया जाता है जब भुगतान भारत के बाहर किया जाता है जब भारतीय

इकाई शुरू में माल के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान करती है; और (iv) विदेशी मुद्रा भारत को तब भेजी जाती है जब भारतीय इकाई से भुगतान प्राप्त होता है।

माल का खरीदार। 41. उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि उपरोक्त विशेषताएं एम. टी. टी. एस. को आयात/निर्यात के अनुरूप बनाती हैं, जबकि अपीलार्थी ने यह नोट करके उन्हें अलग करने का प्रयास किया है कि माल कभी भी एम. टी. टी. के दौरान भारत के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है। इसे हल करने के लिए, हमें यह समझना होगा कि एम. टी. टी. को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे माना जाता है।

अक्षय एन. पटेल बनाम. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

42. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 47 भुगतान संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति नियमावली के अपने छठे संस्करण में

एम. टी. टी. को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता है:

" 10.41 व्यापार को माल की खरीद के रूप में परिभाषित किया गया है निवासी (संकलन अर्थव्यवस्था का) एक अनिवासी से उसी माल की बाद में दूसरे को पुनर्विक्रय के साथ संयुक्त

संकलन अर्थव्यवस्था में माल के बिना अनिवासी मौजूद हैं। माल से जुड़े लेन-देन के लिए व्यापार होता है।

जहाँ मालिक द्वारा माल का भौतिक कब्जा है प्रक्रिया के घटित होने के लिए अनावश्यक "।

इसके बाद, यह विचार करता है कि एम. टी. टी. को नोट करके कैसे दर्ज किया जाना चाहिए: " 10.44 व्यापार का उपचार इस प्रकार है:

(क) व्यापारियों द्वारा माल का अधिग्रहण माल के तहत दिखाया गया है।

व्यापारी की अर्थव्यवस्था के नकारात्मक निर्यात के रूप में; (ख) माल की बिक्री को व्यापार के तहत बेची जाने वाली वस्तुओं के तहत व्यापारी की अर्थव्यवस्था के सकारात्मक निर्यात के रूप में दिखाया जाता है;

(ग) वस्तुओं की खरीद पर बिक्री के बीच का अंतर

व्यापार को वस्तु के शुद्ध निर्यात के रूप में दिखाया गया है।

व्यापार "। इस मद में व्यापारियों का मार्जिन, धारण लाभ और हानि, और व्यापार के तहत वस्तुओं की सूची में परिवर्तन शामिल हैं। इन्वेंट्री में नुकसान या वृद्धि के परिणामस्वरूप, का शुद्ध निर्यात

व्यापार के तहत माल कुछ मामलों में नकारात्मक हो सकता है; और

(घ) व्यापारिक प्रविष्टियों का मूल्यांकन लेन-देन मूल्यों पर सहमति के अनुसार किया जाता है।

पार्टियों द्वारा, एफओबी द्वारा नहीं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि एम. टी. टी. में शामिल माल कभी भी मध्यस्थ के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें एम. टी. टी. के आयात और निर्यात चरण के दौरान मध्यस्थ के क्षेत्र से नकारात्मक और सकारात्मक निर्यात के रूप में दर्ज किया जाता है, जो सामान्य आयात और निर्यात के समान है।

43. इस निष्कर्ष का समर्थन आईएमएफ के साथ भी किया जाता है।

भुगतान संतुलन संकलन गाइड ", जो नोट करता है:

47 " आई. एम. एफ. के 48 पृष्ठ 157-159, यहाँ उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईएमएफ। ओ. आर. जी./एक्सटर्नल/पब/फीट/बोप/2007/पी. डी. एफ./बी. पी. एम. 6। पी. डी. एफ.> 25 नवंबर 2021 को पहुँचा गया

49 पृष्ठ 184, यहाँ उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईएमएफ। ओ. आर. जी./एक्सटर्नल/पब/एफ. टी./बी. ओ. पी./2014/पी. डी. एफ./BPM6_11F.pdf 25 नवंबर 2021 [2021] 13 एस. सी. आर. पर पहुँचा गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के बाद के पुनर्विक्रय के साथ संयुक्त अनिवासी समान माल के बिना किसी अन्य अनिवासी के लिए समान माल

संकलन अर्थव्यवस्था में मौजूद-में दर्ज किया जाना चाहिए

माल में लेन-देन के रूप में भुगतान संतुलन। यह ए

बी. पी. एम. 5 से परिवर्तन, जहाँ व्यापार होना था

एक सेवा के रूप में दर्ज। उपचार में परिवर्तन कतार में है

स्वामित्व नियम के परिवर्तन के साथ जो संतुलन को कम करता है

भुगतान की वैचारिक रूपरेखा। अगर कोई बदलाव होता है

जिस अवधि के दौरान माल का भौतिक रूप उनके स्वामित्व में है

व्यापारी, विनिर्माण सेवाओं के परिणामस्वरूप, फिर लेन-देन को सामान्य माल के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, न कि

व्यापारी के रूप में।

11.30 व्यापारी की अर्थव्यवस्था के लिए, के तहत अधिग्रहित माल

व्यापार को शेष राशि में नकारात्मक ऋण के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। व्यापारी द्वारा माल प्राप्त करने की अवधि में भुगतान का, और

जब वे बेचे जाते हैं तो उन्हें उस अवधि में माल के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

एक सकारात्मक ऋण के रूप में व्यापार के तहत बेचा जाता है।

(जोर दिया गया)

यह स्पष्ट है कि एम. टी. टी. में मध्यस्थ की भूमिका पहले थी।

केवल सेवा प्रदान करने के रूप में माना जाता है। हालाँकि, यह अब विकसित हो गया है, जहाँ आपूर्तिकर्ता से खरीदार तक उनके पारगमन के दौरान मध्यस्थ को माल का मालिक माना जाता है। इसलिए, एम. टी. टी. के तहत वस्तुओं को मध्यस्थ के निवासी देश से नकारात्मक और सकारात्मक निर्यात के रूप में दर्ज किया जाता है, भले ही वे कभी भी भौतिक रूप से उनके क्षेत्र में प्रवेश न करें।

44. इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय राय ली गई स्थिति का समर्थन करती है

उत्तरदाताओं द्वारा कि एम. टी. टी. पारंपरिक आयात और निर्यात के अनुरूप हैं। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए वस्तुओं में एम. टी. टी. की अनुमति को एफ. टी. पी. के तहत उनके आयात/निर्यात की अनुमति से जोड़ना उपयुक्त था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी ने एफ़. टी. पी. के तहत पी. पी. ई. उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचनाओं को चुनौती नहीं दी है। इसलिए,

2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों के खंड 2 (iii) के तहत उनके एम. टी. टी. का निषेध। इसे भी उपयुक्त माना जाता है।

अक्षय एन. पटेल बनाम. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

C. 3 माप की आवश्यकता

45. आवश्यकता का मूल्यांकन करने वाले प्रोंग को अक्सर इसके साथ जोड़ा जाता है

किसी माप की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना। आवश्यकता का विश्लेषण एक प्रतिबंध की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने का एक विस्तार है, जो इस विश्लेषण के साथ जुड़ा हुआ है कि क्या प्रस्तावित उपाय इच्छित वैध राज्य हित तक पहुंचने का सबसे कम प्रतिबंधात्मक तरीका है। इस प्रांग में "संकीर्ण रूप से अनुरूप" राज्य हितों के निशान हैं जिनका उपयोग अक्सर इस न्यायालय द्वारा भाग III के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के दावों का मूल्यांकन करने में किया गया है।

46. अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि में निर्यात का निषेध

पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पी. पी. ई. उत्पाद पर्याप्त थे, और एम. टी. टी. को प्रतिबंधित करना भी आवश्यक नहीं था। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा दोनों देशों के बीच पी. पी. ई. उत्पादों के एम. टी. टी. की सुविधा प्रदान करने से भारत में उनके स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी स्थिति में, अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि एक कम घुसपैठ करने वाला विकल्प केवल उन वस्तुओं के लिए एम. टी. टी. पर प्रतिबंध लगाना होगा जिनके आयात को एफ. टी. पी. के तहत प्रतिबंधित किया गया है या व्यक्तियों को उन वस्तुओं के संबंध में आर. बी. आई. से छूट लेने की अनुमति देना होगा जिनके आयात/निर्यात को एफ. टी. पी. द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, जहां आर. बी. आई. मामले-दर-मामले के आधार पर आकलन कर सकता है कि क्या उनके एम. टी. टी. को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

यह भी प्रतिबंधित है। जबकि इन उपायों का सुझाव दिया गया है सामान्य आधार पर, अपीलार्थी ने वर्तमान मामले में अपनी चुनौती को केवल पी. पी. ई. उत्पादों के निषेध तक सीमित कर दिया है। इसलिए, हम उसके संबंध में अपने विश्लेषण को सीमित करेंगे।

47. धारा सी. 2 में एम. टी. टी. की प्रकृति पर विचार करने के बाद, हम दो कारणों से अपीलार्थी के तर्कों को अस्वीकार करते हैं। सबसे पहले, जबकि पी. पी. ई. उत्पादों में एम. टी. टी. सीधे इन उत्पादों के स्टॉक को कम नहीं कर सकते हैं।

भारत, यह अभी भी दो विदेशी देशों के बीच उनके व्यापार में योगदान देता है। ऐसा करने में, यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में पी. पी. ई. उत्पादों की उपलब्ध मात्रा को सीधे कम कर देता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर भारत द्वारा खरीदा गया होगा। इस प्रकार, एम. टी. टी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में पी. पी. ई. उत्पादों के उपलब्ध भंडार को कम करने में योगदान करते हैं जिसे भारत प्राप्त कर सकता था। दूसरा, पी. पी. ई. उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की यू. ओ. आई. की नीति कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पाद की गैर-व्यापार क्षमता पर उनके रुख को दर्शाती है। यह एक स्पष्ट नीतिगत विकल्प पर प्रकाश डालता है जिसके तहत भारतीय संस्थाएं इन उत्पादों को भारत के बाहर निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, पूरी संभावना है कि दुनिया भर में सबसे अधिक खरीदारों को जो वैश्विक आपूर्ति की जमाखोरी कर सकते हैं। इसलिए, पी. पी. ई. उत्पादों में एम. टी. टी. पर प्रतिबंध लगाना महत्वपूर्ण था।

यह सुनिश्चित करना कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग धनी देशों के साथ पी. पी. ई. उत्पादों की जमाखोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए न किया जाए। केवल निर्यात पर प्रतिबंध भारतीय विदेशी मुद्रा के उपयोग को नियंत्रित नहीं करेगा। इसलिए, भारत की नीतिगत स्थिति को पूरे बोर्ड में सुसंगत रखने के लिए, पी. पी. ई. उत्पादों के संबंध में एम. टी. टी. का निषेध आवश्यक था और राज्य के वैध हित की प्राप्ति सुनिश्चित करने का एकमात्र विकल्प था।

C. 4 मौलिक अधिकारों को राज्य के उद्देश्यों के साथ संतुलित करना

48. आनुपातिकता विश्लेषण के चौथे और अंतिम भाग में एक संतुलन अभ्यास आयोजित करने का महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। न्यायालय से "संवैधानिक अधिकार पर सीमा के सामाजिक महत्व" को वैध बनाने का आह्वान किया जाता है। एक उपाय जो इस हिस्से पर अपने अस्तित्व को उचित ठहराने में विफल रहता है, उसे अधिकार धारक पर असमान प्रभाव डालने वाला माना जाता है।

49. इससे पहले कि हम इस अधिकार के संतुलन पर अपना विश्लेषण शुरू करें, हम सोचते हैं कि न्यायालय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक के उद्देश्य और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताए, ताकि उसके कठिन प्रतिबंधों और विनियमों के पीछे के उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

C. 4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक की नियामक भूमिका

50. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934-53 द्वारा की गई थी। 2016-54 में एक संशोधन के माध्यम से, आधुनिक मौद्रिक नीति के महत्व को दर्शाने के लिए क़ानून की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था।

भारत का ढांचा 55. 51. जोसेफ कुरुविला वेलुकुनेल बनाम में एक संविधान पीठ। भारतीय रिजर्व बैंक 5 को कुछ वैधानिक संस्थाओं के लिए एक चुनौती माना गया

बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 में पेश किए गए प्रावधानों में भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी कंपनी को बंद करने के लिए आवेदन दायर करने की शक्तियां निहित की गई थीं। 51 आधार (5 जे) (ऊपर), पैरा 335 और 369 52 आई. बी. आई. डी.

53 " आरबीआइ अधिनियम "

54 2016 का अधिनियम 28

55 आर. बी. आई. अधिनियम 56 ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1371 की धारा 45 जेड से 45 जेड. एन. पटेल बनाम।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]कोई भी। संवैधानिक चुनौती- अनुच्छेद 14 और 19 का विश्लेषण करने से पहले, संविधान पीठ ने एक नियामक निकाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के कारण और महत्व के बारे में अपने विश्लेषण की शुरुआत की। ई. एम. हिदायतुल्ला (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने कहा:

" 16. इससे पहले कि हम दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार करें, हम भारत के वित्तीय मामलों में रिजर्व बैंक की स्थिति और कानून की योजना में इसके स्थान के बारे में कुछ शब्द कहना चाहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा की गई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले भी, सुझाव थे

उन्होंने कहा कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए और भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन ने 1926 में सिफारिश की थी कि देश की मुद्रा और ऋण को तभी मजबूत आधार पर रखा जा सकता है जब एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा 1927 में पेश किया गया पहला विधेयक हटा दिया गया था। हालाँकि, भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने 1931 में बताया कि भारत में एक केंद्रीय बैंकिंग संस्थान की आवश्यकता थी "भारतीय बैंकिंग और बैंकिंग के विकास को सुरक्षित करने के लिए।

एक ठोस और उचित आधार पर ऋण प्रणाली "। समिति ने बताया कि कुछ प्रांतीय समितियों ने भी सुझाव दिया था

रिजर्व बैंक की स्थापना। समिति ने समाप्त किया

कहते हैं:

" तदनुसार हम भारत में बैंकिंग सुविधाओं के विकास और आम तौर पर इसकी आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से इसे सर्वोच्च महत्व का विषय मानते हैं कि जल्द से जल्द एक केंद्रीय या रिजर्व बैंक बनाया जाना चाहिए। इस तरह के बैंक की स्थापना द्वारा

बैंकिंग और मुद्रा भंडार जुटाना

एक तरफ भारत मात्रा बढ़ाता है। ऋण का

व्यापार, उद्योग और कृषि के लिए उपलब्ध और मौसमी कठोरता के कारण इस तरह के ऋण के उपयोग के लिए उतार-चढ़ाव और उच्च शुल्क की बुराइयों को कम करना। (खण्ड.

I, भाग I. अध्याय। XXII, पैरा 605)

भारतीय संवैधानिक सुधारों पर भी श्वेत पत्र रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की "मुक्त"

राजनीतिक प्रभाव से "। इन निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, जब सितंबर [2021] 13 एस. सी. आर. को सर जॉर्ज शूस्टर द्वारा एक नया विधेयक पेश किया गया था।

8 , 1933 इसे स्वीकार कर लिया गया और राज्यपाल की सहमति प्राप्त की गई। 6 मार्च, 1934 को जनरल।

17. रिजर्व बैंक के कार्य आम तौर पर थे

के मुद्दे के विनियमन के रूप में प्रस्तावना में इंगित किया गया है

बैंक नोटों और भंडार को ध्यान में रखते हुए रखना

भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए और आम तौर पर

देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली का संचालन करना

इसका लाभ। लेकिन रिजर्व बैंक को काम करने में सक्षम बनाने के लिए

इस तरह से, इसे अन्य शक्तियां दी जानी थीं, ताकि यह

रिजर्व बैंक को नकदी शेष रखने का अधिकार दिया गया था महत्वपूर्ण वाणिज्यिक बैंक, सरकारी लेन-देन का अधिकार

भारत में व्यवसाय जो इसका दायित्व भी था, और जिसमें प्रवेश करना था

राज्य सरकारों के साथ अपने व्यवसाय के लेन-देन के लिए समझौते। [..... .....]

18. लेकिन रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य

आम तौर पर बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना है। रिजर्व बैंक को बैंकर्स बैंक के रूप में वर्णित किया गया है। इसके तहत

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, अनुसूचित बैंक बनाए रखते हैं

उन बैंकों को "अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में"। रिजर्व बैंक को कुछ सलाह और नियामक भी दिए गए हैं।

कार्य। केंद्रीय बैंक के रूप में अपनी स्थिति के अनुसार, यह एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

वित्तीय जानकारी और आंकड़े एकत्र करने के लिए। यह सलाह देता है

और इस उद्देश्य के लिए, यह खुद को गतिविधियों से अवगत रखता है और अनुसूचित और अन्य बैंकों की मौद्रिक स्थिति, और निरीक्षण

अनुसूचित बैंकों की पुस्तकें और खाते और सरकार को सलाह देता है

निरीक्षण के बाद कि क्या किसी विशेष बैंक को इसमें शामिल किया जाना चाहिए

दूसरी अनुसूची या नहीं। [... .....] ”

(जोर दिया गया)

52. पीयरलेस जनरल फाइनेंस में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ

और निवेश कंपनी लिमिटेड बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक 57 पर विचार किया गया

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा संचालित बचत योजनाओं के भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन के संदर्भ में अनुच्छेद 19 (1) (जी) का कथित संवैधानिक उल्लंघन। विवादित विनियमन का जोर जमा को विनियमित करना था

57 (1992) 2 एस. सी. सी. 343 अक्षय एन. पटेल बनाम।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा जारी निवेश योजनाएं

उपभोक्ताओं द्वारा की गई जमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश। न्यायमूर्ति एन. एम. कासलीवाल ने भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक शक्तियों के विशिष्ट संदर्भ में न्यायालयों की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। निर्णय ने विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले आर्थिक नीति के मामलों से न्यायिक संयम के महत्व पर प्रकाश डाला:

" 30. विवादित के दायरे और प्रभाव की जांच करने से पहले

1987 के निर्देशों के पैराग्राफ (6) और (12) भी महत्वपूर्ण हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो कि बैंकरों का बैंक है

पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामलों और किसी को नहीं जारी करने में रिजर्व बैंक की ईमानदारी पर संदेह कर सकते हैं

1987 के विवादित निर्देश। रिजर्व बैंक खेलता है

भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका

और इसका एक महत्वपूर्ण कार्य बैंकिंग को विनियमित करना है। देश में व्यवस्था। यह रिजर्व बैंक का कर्तव्य है

दुरुपयोग किया गया लेकिन उस कार्य को अपने लिए उपयुक्त नहीं बनाया गया जो उसे सौंपा गया था प्राधिकरण। यह अच्छी तरह से तय है कि एक सार्वजनिक निकाय ने वैधानिक रूप से निवेश किया है।

शक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी शक्ति से अधिक या दुरुपयोग न करें। इसे होना ही चाहिए।

इसके लिए प्रतिबद्ध प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर रहें। इसे कार्य करना चाहिए। सद्भावना से और इसे उचित रूप से कार्य करना चाहिए। अदालतें ऐसा नहीं करतीं

आर्थिक नीति में हस्तक्षेप करना जिसका कार्य है

विशेषज्ञ। फैसला सुनाना अदालतों का काम नहीं है। आर्थिक नीति के मामलों पर और यह आवश्यक रूप से होना चाहिए

विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया। ऐसे मामलों में विशेषज्ञ भी कर सकते हैं

गंभीर रूप से और निस्संदेह भिन्न हैं। अदालतों से उम्मीद नहीं की जा सकती

विशेषज्ञों की सहायता के बिना भी उन्हें तय करना।

(जोर दिया गया)

न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी ने अपनी सहमति में कहा कि

भारतीय रिज़र्व बैंक का वैधानिक महत्व और यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वैध रूप से जारी किए गए निर्देश वैधानिक विनियमों की प्रकृति में हैं:

" 51. जोसेफ कुरुविला वेलुकुनेल बनाम में यह न्यायालय। रिजर्व बैंक

भारत का [1962 का पूरक 3 एस. सी. आर. 632: AIR 1962 SC 1371: (1962)
32 कम्प कैस 514] ने माना
कि भारतीय रिज़र्व बैंक "एक बैंकरों का बैंक और ऋणदाता [2021] 13 एस. सी. आर. है।

अंतिम उपाय "। इसका उद्देश्य मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। भारत और देश की ऋण प्रणाली का संचालन और विनियमन करना।

इसलिए, इसे आवश्यकता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है।

द्वारा देश की ऋण संरचना को संरक्षित और बनाए रखना

नियम को मजबूत करने के साथ-साथ इसकी स्पष्ट साख

देश में कार्यरत बैंक और जमाकर्ताओं का हित। हमारे जैसे अविकसित देश में, जहाँ बहुसंख्यक आबादी है

अनपढ़ और गरीब हैं और बैंकिंग से परिचित नहीं हैं

एक विशेषज्ञ के रूप में देश की अर्थव्यवस्था या ऋण प्रणाली शरीर। यह सरकार को सार्वजनिक वित्त में भी सलाह देता है और

मौद्रिक नियम। बैंक या गैर-बैंकिंग

संस्थानों को अपने कार्यों को विनियमित करना होगा

न केवल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार

लेकिन द्वारा जारी किए गए नियम और निर्देश या निर्देश भी आर. बी. आई. इसके तहत शक्ति का प्रयोग कर रहा है। अध्याय 3-बी

स्पष्ट रूप से जमा और वित्त के नियमों से संबंधित है

आरएनबीसी द्वारा प्राप्त। अतः निर्देश इस प्रकार हैं - वैधानिक विनियम।

[.....]

65. किसी को भी कोई भी अनियमित काम करने का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है।

अभिदाताओं/जमाकर्ताओं के धन के साथ व्यवसाय। [.....] इस प्रकार विनियमन और जनता के बीच एक उचित संबंध है

उद्देश्य, अर्थात्, जमाकर्ताओं के धन की प्रतिभूति और अधिकार

बिना किसी बाधा के पुनर्भुगतान के लिए, जो निस्संदेह है

जनहित।

(जोर दिया गया)

न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी ने न्यायपालिका की भूमिका को और स्पष्ट किया

आर्थिक विधान और लोकतांत्रिक आवश्यकता के मामलों में कानूनी परहेज:

68. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि न्यायालय एक न्यायाधिकरण नहीं है

जटिल प्रयोगात्मक की क्रूरताएँ और असमानताएँ आर्थिक कानून। आर्थिक विकास में विवेकाधिकार-अक्षय एन. पटेल बनाम।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उपाय, नीति निर्माताओं के पास है न कि

न्यायपालिका। भारतीय सामाजिक व्यवस्था सामाजिक और

राज्य पर असमानताओं को कम करने और सभ्यता सुनिश्चित करने का आरोप लगाता है जीवन स्तर और आर्थिक समानता। अधिनियम निर्धारित करता है कि

मौद्रिक प्रणाली को विनियमित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को शक्ति और

आर्थिक कानून का प्रयोग, सबसे अच्छा हो सकता है

कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाता है जब तक कि यह अवास्तविक न पाया जाए या

स्पष्ट रूप से मनमाना। भले ही कोई कानून मुकदमे में अभाव में पाया जाए,

यह बेहतर है कि इसके दोषों का प्रदर्शन किया जाए और

हटा दिया गया है कि कानून को न्यायिक द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए

फिएट। न्यायिक शक्ति का ऐसा दावा विचलित करता है

उन लोगों की जिम्मेदारियाँ जिन पर एक लोकतांत्रिक समाज है

अंततः आराम करता है। न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या योजना,

अपनाए गए उपाय या विनियमन के लिए प्रासंगिक या उपयुक्त है

प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति। हितों के प्रति पूर्वाग्रह

जमाकर्ता एक प्रासंगिक कारक है। कुप्रबंधन या भुगतान करने में असमर्थता

उपार्जित देनदारियाँ ऐसी बुराइयाँ हैं जिन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। दिशा-निर्देश

जमाकर्ताओं के अधिकार और क्षमता को संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं

अनुबंधित दायित्व का भुगतान करने के लिए आर. एन. बी. सी. यह भी अभिप्रेत है कि असुरक्षित लोगों से एकत्र की गई जमाओं के कुप्रबंधन को रोकें

सामाजिक वर्ग जिन्हें बैंकिंग संचालन का कोई ज्ञान नहीं है या

ऋण प्रणाली और कंपनी पर निराधार अंधविश्वास रखें

इस प्रकार निर्देश बचत और सुव्यवस्थित करने के लिए मितव्ययिता बनाए रखते हैं। और आर. एन. बी. सी. के मौद्रिक संचालन को मजबूत करना।

(जोर दिया गया)

53. इंटरनेट और मोबाइल में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ

भारत का एकीकरण v. भारतीय रिजर्व बैंक 3 8 ("इंटरनेट और

बाइल एसोसिएशन ") को हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए एक चुनौती माना गयाक्रिप्टोकरेंसी में व्यापार करना। इस चुनौती की जांच करते हुए, न्यायालय ने

आर. बी. आई. के विनियामक महत्व को एक ऐतिहासिक और

आर. बी. आई. अधिनियम का विश्लेषण। न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक एक विशेष भूमिका निभाता है।

अन्य वैधानिक निकायों के लिए। इसके निर्णय इसके प्रतिबिंब हैं।

देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण और मार्गदर्शन करें। इसलिए, आर. बी. आई. की एक नीति इस न्यायालय से सम्मान की गारंटी देती है। अदालत ने

" 84. आर. बी. आई. अधिनियम, 1934 की पूरी तरह से सावधानीपूर्वक जांच से पता चलेगा कि देश की ऋण/वित्तीय प्रणाली का संचालन/विनियमन इसके लाभ के लिए एक ऐसा सूत्र है जो उन सभी प्रावधानों को जोड़ता है जो आर. बी. आई. को नीति निर्धारित करने और निर्देश जारी करने दोनों की शक्तियां प्रदान करते हैं।

[.....]

189. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री असीम सूद द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विवादित परिपत्र को न तो कानून का दर्जा प्राप्त है और न ही कार्यकारी कार्रवाई का दर्जा प्राप्त है, बल्कि यह केवल एक सांविधिक निकाय कॉर्पोरेट को क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग है। इसलिए, यह उनका तर्क है कि सम्मान का न्यायिक नियम

आर. के. गर्ग बनाम में व्यक्त। भारत संघ [आर. के. गर्ग बनाम। भारत संघ, (1981) 4 एस. सी. सी. 675: 1982 एस. सी. सी. (कर) 30], बाल्को कर्मचारी संघ बनाम। भारत संघ [बाल्को]

कर्मचारी संघ v. भारत संघ, (2002) 2 एस. सी. सी. 333] और स्विस रिबन (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ [स्विस रिबन (पी) लिमिटेड v. भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17] भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे सांविधिक निकाय द्वारा लिए गए निर्णय पर लागू नहीं होगा। यदि ए. आर्थिक मामलों से संबंधित कानून को उच्चतम स्तर पर रखा जाता है, इसी तरह के मामलों के संबंध में एक कार्यकारी निर्णय को केवल निचले स्तर पर रखा जाएगा और एक वैधानिक निकाय द्वारा लिया गया निर्णय इस तरह के किसी भी सम्मान का हकदार भी नहीं हो सकता है या

आदर भाव।

190. लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की योजना को देखते हुए, उपरोक्त तर्क प्रकट होता है। केवल आर. बी. आई. की भूमिका को कम करने के लिए। आर. बी. आई. किसी की तरह नहीं है।

विधायिका के एक अधिनियम द्वारा निर्मित अन्य सांविधिक निकाय। यह एक प्राणी है, जिसे एक जनादेश के साथ बनाया गया है ताकि इससे भी मुक्त हो सकें। इसका निर्माता। यही कारण है कि इसे एक अधिदेश दिया गया है-(i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना के तहत मुद्रा और ऋण के संचालन के लिए।

अपने लाभ के लिए देश की प्रणाली और देश में मौद्रिक नीति ढांचे को संचालित करना; (ii) धारा 3 (1) के तहत, केंद्रीय सरकार से मुद्रा का प्रबंधन लेना।

सरकार; (iii) धारा 20 के तहत, धन स्वीकार करने का उपक्रम करना-के. एस. एच. ए. एन. पटेल v.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

21 (1) , केंद्र सरकार द्वारा भारत में सभी धन, प्रेषण, विनिमय और बैंकिंग लेनदेन उसे सौंपे जाने के लिए; (v) धारा 22 (1) के तहत, भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार होना और (vi) धारा 38 के तहत, केंद्र सरकार को छोड़कर, केवल इसके माध्यम से रुपये को प्रचलन में लाना।

इसलिए, आर. बी. आई. को किसी अन्य वैधानिक के बराबर नहीं माना जा सकता है। शरीर जो केवल अपने स्वामी की सेवा करता है। यह विशेष रूप से

समान के बहिष्करण के लिए कुछ चीजें करने के लिए सशक्त

केंद्र सरकार। इसलिए, अपने निर्णय रखने के लिए

एक कार्यकारी निर्णय से भी निचले पायदान पर,

अधिनियम की योजना के साथ हिंसा करेंगे। [.....]

192. लेकिन जैसा कि हमने ऊपर बताया है, आर. बी. आई. केवल कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण नहीं है। यह एक धारा की तरह नहीं है जो इससे बड़ी नहीं हो सकती है।

स्रोत से अधिक। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 एक पूर्व-संवैधानिक है।

372 (1) संविधान से। अन्य वैधानिक जीवों और आर. बी. आई. के बीच अंतर यह है कि वैधानिक जीव क्या कर सकते हैं, कार्यपालिका द्वारा भी किया जा सकता है। शक्ति प्रदान की गई

अन्य कानूनों में प्रतिनिधि के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, संशोधित किया जा सकता है

या यहाँ तक कि वापस ले लिया। लेकिन आर. बी. आई. को दी गई शक्ति

केंद्र सरकार से मुद्रा के प्रबंधन को संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 (1) को हटाया नहीं जा सकता है। भारत में धारा 22 (1) द्वारा प्रदत्त बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार भी किसी अन्य बैंक या प्राधिकरण को नहीं दिया जा सकता है। आर. बी. आई. अपने अधिकार के आधार पर, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का सदस्य है, जो ऐसा नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाए और उन्हें प्रदान किया जाए

कोई अन्य प्राधिकरण। इसलिए, यह कहना कि यह किसी भी अन्य वैधानिक प्राधिकरण की तरह है जिसके निर्णय देय नहीं हो सकते हैं

सम्मान, अधिनियम की योजना के साथ हिंसा करना है। में।

वास्तव में, सभी देशों में केंद्रीय बैंक/प्राधिकरण हैं, जो तकनीकी रूप से देश की सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करें। इस तरह की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, [2021] 13 एस. सी. आर. के बोर्ड को एक निश्चित कार्यकाल दिया जाता है।

राज्यपाल, ताकि वे राजनीति में न फंसें

शीघ्रताएँ। [.....] इसलिए हम इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं।

कि आर. बी. आई. द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का कोई औचित्य नहीं है।

सम्मान करते हैं।

(जोर दिया गया)

उन्हें सौंपी गई व्यापक शक्तियों का आगे विश्लेषण करते हुए

आर. बी. आई., न्यायालय ने नोट किया कि इसकी नियामक शक्तियों का परीक्षण आनुपातिकता की आधारशिला के खिलाफ किया जाएगा:

" 224. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर. बी. आई. के पास बहुत व्यापक अधिकार हैं।

केवल तीन अधिनियमों की वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए

निवारक के साथ-साथ दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता है उपचारात्मक उपाय। लेकिन बिजली की उपलब्धता अलग है।

जिस तरीके और सीमा तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। जबकि हमने इस क्रम में कहीं और मान्यता दी है,

एक पूर्व-खाली कार्रवाई करने के लिए RBI की शक्ति, हम परीक्षण कर रहे हैं

जिसके निर्धारण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को कम से कम कुछ दिखाने की आवश्यकता है इसकी विनियमित संस्थाओं को हुए किसी भी नुकसान की झलक। लेकिन

वहाँ कोई नहीं है। जब आर. बी. आई. का स्थिर रुख यह है कि उनके पास है

वी. सी. पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और जब भारत सरकार असमर्थ है कई समितियों के आने के बावजूद कॉल करें

दो मसौदा विधेयकों सहित प्रस्ताव, जिनमें से दोनों ने सटीक रूप से वकालत की

विपरीत स्थिति, हमारे लिए यह धारण करना संभव नहीं है कि आक्षेपित माप आनुपातिक है। "

(जोर दिया गया)

54. इस प्रकार, यह तय किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक एक विशेष, विशेषज्ञ नियामक है।

निकाय जो राजनीतिक क्षेत्र से अछूता है। इसके निर्णय राष्ट्र की आर्थिक नीति और वित्तीय स्थिरता का मार्गदर्शन करने में इसकी विशेषज्ञता को दर्शाते हैं। इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक को फेमा द्वारा भारत की विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, विनियमन और पर्यवेक्षण करने का अधिकार दिया गया है। यह तुच्छ कानून है कि अदालतें आर्थिक 5 9 में हस्तक्षेप नहीं करती हैं या

59 आर के गर्ग बनाम। भारत संघ, (1981) 4 एस. सी. सी. 675; बाल्को कर्मचारी संघ बनाम। भारत संघ, (2002) 2 एस. सी. सी. 333 60 स्विस रिबन (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17; एबिक्स सिंगापुर बनाम। एडुकॉम्प सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड के लेनदारों की समिति, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 313 ए. के. एस. एच. ए. वाई. एन. पटेल बनाम।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

यह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के विवेक का सम्मान करता है, जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन (उपरोक्त) में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, नियम। आर. बी. आई. द्वारा शुरू किए गए नियम वैधानिक विनियमन की प्रकृति के हैं और कार्यकारी और संसदीय नीति के समान स्तर के सम्मान की मांग करते हैं।

55. इस न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार और स्वतंत्रता सार्वजनिक हित में अधिनियमित विनियमन को अक्षम करने के लिए निजी व्यवसायों के शस्त्रागार में एक हथियार नहीं बन जाते हैं। संविधान सभा की बहसों में सावधानीपूर्वक प्रतिबंधों का निर्धारण किया गया था अर्थव्यवस्था पर लोकतांत्रिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर। विनियमन निश्चित रूप से क़ानून की सीमाओं के भीतर होना चाहिए।

और कार्यकारी नीति के अनुरूप। एक विनियमित अर्थव्यवस्था निजी व्यावसायिक हितों और अपने नागरिकों के लिए एक न्यायपूर्ण राजनीति सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका के बीच संतुलन सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मॉडर्न डेंटल कॉलेज (उपरोक्त) की संविधान पीठ ने उदारीकृत अर्थव्यवस्थाओं में नियामक तंत्र की भूमिका पर टिप्पणी की थी। पीठ की ओर से न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने कहा था:

" 87. नियामक तंत्र, या जिसे नियामक कहा जाता है

अर्थशास्त्र, दिन का क्रम है। पिछले 60-70 वर्षों में, इस देश की आर्थिक नीति निष्पक्षता से मिश्रित हो गई है

विनियामक के साथ उदार अर्थव्यवस्था के वर्तमान युग में अर्थव्यवस्था

शासन। मिश्रित अर्थव्यवस्था के आगमन के साथ, वहाँ था

सार्वजनिक क्षेत्र और कुछ प्रमुख उद्योगों का उभरना

दूरसंचार आदि पर राज्य का एकाधिकार था। इस अवधि के दौरान लाइसेंस/परमिट राज का सख्त नियंत्रण था। सरकार उन उद्योगों के संबंध में भी जहां निजी क्षेत्रों को काम करने की अनुमति थी। हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 90 के दशक की शुरुआत में एलपीजी मॉडल पर बड़े नीतिगत बदलावों का अनुभव किया।

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जुलाई 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए सुधारों की शुरुआत के साथ, भारत के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आर्थिक परिवर्तन की इस अवधि का समग्र आर्थिक विकास पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है।

अर्थव्यवस्था के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में।

88. जब हमारे पास एक उदार अर्थव्यवस्था होती है जो बाजार की ताकतों द्वारा नियंत्रित होती है (इसलिए इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है), तो ऐसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निर्धारित की जाती हैं [2021] 13 एस. सी. आर.

आपूर्ति और मांग द्वारा स्थापित एक मुक्त मूल्य प्रणाली में। अक्सर ऐसा होता है एक नियोजित अर्थव्यवस्था के विपरीत जिसमें एक केंद्र सरकार एक निश्चित मूल्य का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारित करती है।

प्रणाली। बाजार अर्थव्यवस्थाएँ भी मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं से विपरीत हैं।

अर्थव्यवस्था जहाँ मूल्य प्रणाली पूरी तरह से मुक्त नहीं है, लेकिन कुछ सरकारी नियंत्रण या भारी विनियमित है, जिसे कभी-कभी राज्य के नेतृत्व वाली आर्थिक योजना के साथ जोड़ा जाता है जो एक नियोजित अर्थव्यवस्था का गठन करने के लिए पर्याप्त व्यापक नहीं है।

89. वैश्वीकरण और उदारीकरण के आगमन के साथ, हालांकि बाजार अर्थव्यवस्था बहाल हो गई है, साथ ही यह भी महसूस किया जाता है कि बाजार अर्थव्यवस्थाओं का शुद्ध रूप में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। कुछ नियम

स्वयं को अनुमति देने के बजाय विभिन्न उद्योगों की आवश्यकता है

बाजार शक्तियों द्वारा विनियमन। नियामक निकायों के माध्यम से यह हस्तक्षेप, विशेष रूप से मूल्य निर्धारण में, के लिए आवश्यक माना जाता है

समाज के कल्याण और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि

विनियामक अर्थव्यवस्था बाजार के चरित्र को नहीं छीनती है।

अर्थव्यवस्था जो अभी भी एक बाजार अर्थव्यवस्था बनी हुई है। निजी द्वारा प्रबंधित ऐसे उद्योगों में भी नियामक निकायों के लिए औचित्य

यह क्षेत्र लोगों के कल्याण में निहित है। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए बुनियादी कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नियामक उपायों को आवश्यक महसूस किया जाता है। यह है।

इस कारण से कि हम सभी महत्वपूर्ण में नियामक निकाय पाते हैं

बीमा, बिजली और बिजली जैसे उद्योग,

दूरसंचार, आदि "।

56. अर्थव्यवस्था को विनियमित करना समझौते को दर्शाता है

निजी वाणिज्यिक कर्ताओं और लोकतांत्रिक राज्य के हितों के बीच जो सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व और रक्षा करता है। दुनिया भर के विद्वानों ने न्यायपालिका द्वारा एक अनियमित बाज़ार को संवैधानिक बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है। यह न्यायालय इसी तरह से बाध्य होना चाहिए संविधान के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखने के लिए दायित्व। अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ, न्यायालयों को सामाजिक-आर्थिक परिवेश के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। समानता का अधिकार और अपने व्यापार को जारी रखने की स्वतंत्रता में विनियमन से बचने या बचने का अधिकार नहीं हो सकता है। उदारीकृत अर्थव्यवस्थाओं में, नियामक तंत्र निजी आर्थिक अभिनेताओं के लिए संचालन की शर्तों को निर्धारित करने के लोकतांत्रिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब नियामक निकायों के कार्यों पर सवाल उठाए जाते हैं तो यह न्यायालय न्यायिक समीक्षा से दूर रहने का समर्थन नहीं करता है। बल्कि, यह जांच में बुद्धिमान देखभाल का आग्रह करता है

61 रॉबर्ट पोस्ट और अमांडा शैनोर, एडम स्मिथ का पहला संशोधन, 128 हार्वर्ड लॉ रिव्यू फोरम 165,167 (2015), पर उपलब्ध है। //हार्वर्डलॉरिव्यू। org/2015/03 एडम-स्मिथ्स-पहला-संशोधन/> अक्षय एन पटेल बनाम।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस तरह की कार्रवाई के लिए प्रामाणिक और विनियमों को तैयार करने में उनकी विशेषज्ञता के लिए सूक्ष्म सम्मान। सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण के अपने उद्देश्य के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बिना,

मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को बनाए रखने की आड़ में नियामक कार्रवाई को अमान्य करने से जनता के सामान्य हितों को नुकसान होगा।

57. तत्काल मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पी. पी. ई. उत्पादों और जनता के संबंध में एम. टी. टी. के निषेध में एक तर्कसंगत सांठगांठ का प्रदर्शन किया है।

भारतीय नागरिकों का स्वास्थ्य। एफ. टी. पी. और एम. टी. टी. के बीच महत्वपूर्ण संबंध उत्तरदाताओं द्वारा स्थापित किए गए हैं। दो अलग-अलग देशों के बीच पी. पी. ई. उत्पादों में एम. टी. टी. की सुविधा प्रदान करने से प्रथम दृष्टया घरेलू स्टॉक की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। हालांकि, रिजर्व बैंक ने भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार, एम. टी. टी. के उपयोग और घरेलू स्टॉक की उपलब्धता (जैसा कि खंड सी. 2 और सी. 3 में उल्लेख किया गया है) के बीच संबंध को सावधानीपूर्वक स्थापित किया। एक बड़ी आबादी वाले विकासशील देश के रूप में, एफ. टी. पी. के साथ एम. टी. टी. अनुमति को संरेखित करने के लिए आर. बी. आई. की नीति

पी. पी. ई. उत्पादों के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इस प्रकार, यह न्यायालय एक महामारी में सार्वजनिक स्वास्थ्य को संरक्षित करने के हित में भारतीय रिज़र्व बैंक और यू. ओ. आई. द्वारा लगाए गए नियमों को टालने के लिए विवश है। यह सम्मान किसी भी तरह से गैर-आलोचनात्मक नहीं है। वास्तव में, हममें से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़), गुजरात मजदूर सभा बनाम में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ में। गुजरात 2 राज्य ने श्रम कानूनों में कल्याणकारी स्थितियों को कमजोर करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के राज्य के कमजोर दावे की निंदा की थी। इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए अपनाए गए उपायों के खिलाफ व्यक्तिगत अधिकारों को संतुलित करना जारी रखना चाहिए। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा:

" 30. भले ही हम प्रत्यर्थी के तर्क को स्वीकार कर लें

सबसे अधिक, महामारी के परिणामस्वरूप आंतरिक अशांति हुई है, हम पाते हैं कि कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक मंदी राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली आंतरिक अशांति के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करती है। महामारी ने मौजूदा, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे पर भारी बोझ डाला है और इसके कारण

आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का सहारा लिया है। [गृह मंत्रालय, आदेश सं. 40-3/2020-डीएम आई (ए) दिनांक 24-3-2020।] हालाँकि, इसने भारत या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की सुरक्षा को इस तरह से प्रभावित नहीं किया है जिससे देश की शांति और अखंडता में खलल पड़े। आर्थिक कठिनाइयों के कारण

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोविड-19 निश्चित रूप से शासन के लिए अभूतपूर्व चुनौती पेश करता है। हालांकि, ऐसी चुनौतियों का समाधान राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के साथ समन्वय में कानून के तहत अपने कामकाज के दायरे में किया जाना है। जब तक किसी आर्थिक कठिनाई की सीमा इतनी चरम नहीं होती है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करती है और भारत या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरे में डालती है, तब तक ऐसी आपातकालीन शक्तियों का सहारा नहीं लिया जा सकता है जिनका कानून के तहत संयम से उपयोग किया जाना चाहिए। उनका सहारा तभी लिया जा सकता है जब धारा 5 के तहत वैधानिक शक्ति के वैध प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तें मौजूद हों। वर्तमान मामले में यह अनुपस्थित है।

[.....]

40. एक ओर श्रम कल्याण की रक्षा करने और दूसरी ओर महामारी के कारण उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन इन संतुलन को कानून के शासन के अनुरूप होना चाहिए। एक वैधानिक प्रावधान जो निर्धारित शर्तों पर छूट देने की शर्त रखता है

सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। राज्य प्रशासन के सामने नई चुनौतियों का सामना करते हुए कार्यस्थल में गरिमा और समानता को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को समाप्त करने के लिए राज्य को एक स्वतंत्र शासन प्रदान करने के लिए इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, जब तक कि वे गंभीर खतरों के खिलाफ राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल संबंध नहीं रखते हैं।

इस प्रकार, यह इस न्यायालय का रुख नहीं है कि न्यायिक समीक्षा को तब तक ठंडे बस्ते में रखा जाता है जब तक कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट समाप्त नहीं हो जाता। यह न्यायालय अपना अधिकार बरकरार रखता है।

राज्य की ज्यादतियों से बचाव के लिए संवैधानिक प्रहरी के रूप में भूमिका। यह किसी राज्य की आनुपातिकता निर्धारित करने में अपनी भूमिका का प्रयोग करना जारी रखता है।

महामारी के प्रबंधन के लिए लागू किए गए असाधारण उपायों की प्रकृति और उद्देश्य पर पर्याप्त विचार के साथ। जनता की भलाई को सुरक्षित रखने वाले लोकतांत्रिक हितों को कुछ लोगों की व्यापार करने की निरंकुश स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता है।

डी निष्कर्ष

58. इसलिए, हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का 8 अक्टूबर 2020 का निर्णय उस खंड को अभिनिर्धारित करने में सही था

2 (iii) 2020 एम. टी. टी. दिशानिर्देशों का पी. पी. ई. उत्पादों के पर्याप्त घरेलू भंडार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक आनुपातिक उपाय था। उपाय 281

इर्व बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर.

वाई. चंद्रचूड़, जे.]

ई वैध राज्य हित का और ए नहीं अपीलार्थी के मौलिक अधिकार। इसलिए,

आर अनुच्छेद 14,19 (1) (जी) और 21। के लिए

हम हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं देखते हैं।

, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। द.

सेड।

बी.

, यदि कोई हो तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।

याचिका खारिज कर दी गई।